भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)

(पुस्तिका)

दिल्ली पुलिस

संस्करण-2
मई 2024

टीम
दिल्ली पुलिस अकादमी

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस
शांति • सेवा • न्याय

प्राक्कथन

150 से अधिक वर्षों तक आपराधिक न्याय प्रशासन के आधार के रूप में कार्य करने व कालखंड में किये गये कई संशोधनों और उन्नयनों के साथ, पूर्व के तीन प्रमुख दंड विधियों को हाल ही में संसद के अधिनियमों के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तीन नए प्रमुख दंड संहिताओं का अधिनियमन हमारे देश के आपराधिक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपनिवेशवादोत्तर बदलाव का प्रतीक है; जिनकी विशिष्ट विशेषता पारंपरिक रूप से केवल 'दंडात्मक' होने के बजाय 'न्याय' पर केंद्रित होना है।

नए कानून, पिछली शताब्दी में एक विकासशील देश और समाज में जड़ें जमाने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, आपराधिक न्याय प्रशासन के ढांचागत सुधार का लक्ष्य रखते हैं और वे भविष्यवादी भी हैं क्योंकि वे एक सुसंगत परिभाषा प्रदान करने और तर्कसंगत, न्यायपूर्ण और राष्ट्रवादी ढांचे में नए जमाने के अपराधों के परिणामों को निर्धारित करने का लक्ष्य रखते हैं।

आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू क़िया जाना है। यह एक बहु-हितधारक प्रयास होने जा रहा है जहां एनसीआरबी, बीपीआर एंड डी, आदि जैसे केंद्रीय संगठन, राज्य पुलिस बलों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नए कानूनों की ज़मीनी समझ और कार्यान्वयन के लिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही इस

व्यापक पुस्तिका को तैयार करने के साथ पहला कदम उठा लिया है, जो श्रीमती छाया शर्मा, विशेष पुलिस आयुक्त (प्रशिक्षण) के सक्षम नेतृत्व में हमारे प्रशिक्षण विभाग की प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दर्शाता है।

नए कानूनों को अपनाने और लागू करने में चुनौती मुख्य रूप से 'व्यवहारिक' है। एक पुलिस बल जो कानूनों को सीखने, अभ्यास करने और आत्मसात करने के आदी हैं, और पीढ़ियों से पुराने कानून पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिसिंग की 'आधारशिला' रहे हैं, उनके लिये पहली चुनौती यह स्वीकार करना है कि परिवर्तन ही विकास का प्रमाण है अर्थात् पुराने को छोड़ नये को ग्रहण करना है और दूसरी, अनुभवी गुरुओं, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और संरचनात्मक व्यावहारिक प्रशिक्षण के अभाव में नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो वास्तव में बहुत कठिन हो सकती है। यह पुस्तिका उपरोक्त दूसरी चुनौती को पूर्ण करने में सक्षम है। हमने पेशेवर प्रशिक्षक तैयार किये हैं और दिल्ली पुलिस के सत्तर हजार से अधिक कर्मियों के नये अधिनियमों के समुचित प्रशिक्षण के लिए एक कैलेंडर निर्धारित किया है।

मैं, एक बार फिर, दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण विभाग की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त कर इस पुस्तिका का मसौदा तैयार किया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि कई अन्य राज्य पुलिस बलों के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करेगा, जो हमारे पुलिसिंग प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा के भविष्य की ओर हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं।

(संजय अरोड़ा)
पुलिस आयुक्त, दिल्ली

प्रस्तावना

भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्यायों में कुल 511 धाराओं का संशोधन किया गया था, जबकि भारतीय न्याय संहिता - 2023 में कुल 20 अध्यायों में 358 धाराएं हैं। बीएनएस में 10 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और भारतीय दंड संहिता के 20 प्रावधानों को हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। बहुत विचार-विमर्श के बाद, यह मार्गदर्शिका दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों की सहायता के लिए और नए 'भारतीय न्याय संहिता - 2023' की समझ को सरल बनाने के लिए बनाई गई है।

इस गाइड में, आपको सात अनुलग्नकों के साथ बीएनएस का नया अद्यतन अनुभाग मिलेगा जो विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनके जुर्माने/दंडों को दर्शाता है। पाठकों की आसानी के लिए नए जोड़े गए अनुभाग और हटाए गए अनुभागों को भी इस संस्करण का हिस्सा बनाया गया है।

हमारा लक्ष्य व्यावहारिक जानकारियां देकर परिवर्तन को सुगम बनाना है, जो आपको जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है। जैसा कि आप इस कानूनी अद्यतन को अपनाते हैं, इस पुस्तिका को इन परिवर्तनों को समझने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने संसाधन के रूप में लें। आइए साथ मिलकर एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करें, न्याय और समुदाय की सुरक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ाएं और साथ ही दिल्ली पुलिस को समाज की सेवा करने वाले सर्वश्रेष्ठ संगठनों में से एक बनाएं।

टीम दिल्ली पुलिस अकादमी

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस
शांति • सेवा • न्याय

विषय सूची

क्र. स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय न्याय संहिता का सामान्य अवलोकन	10
2.	सजा और अपराध की प्रकृति के साथ आईपीसी की बीएनएस से संबंधित धाराएं	16
3.	**अनुलग्नक - I** बीएनएस में नए जोड़े गए अनुभागों और आंशिक रूप से जोड़े गए प्रावधानों की सूची	80
4.	**अनुलग्नक - II** सजा और अपराध की प्रकृति के साथ बीएनएस की आईपीसी ls संबंधित धाराएं	90
5.	**अनुलग्नक - III** आईपीसी से हटाई गई धाराओं की सूची	113
6.	**अनुलग्नक - IV** बीएनएसएस के कुछ महत्वपूर्ण अनुभाग	114
7.	**अनुलग्नक - V** 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा वाली धाराओं की सूची	128
8.	**अनुलग्नक - VI** 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाली धाराओं की सूची	175
9.	**अनुलग्नक - VII** रोजमर्रा की पुलिसिंग में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुभागों की सूची	209

विषय सूची

खंड क
भारतीय न्याय संहिता का सामान्य अवलोकन

खंड ख
अनुभागवार सूचकांक (आईपीसी से बीएनएस)

खंड ग
अनुलग्नक I से VII

खंड क

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के बारे में सामान्य अवलोकन

A. नए अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) कहा जाता है, जिसने भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित कर दिया है। कोड शब्द को संहिता से बदल दिया गया है।

B. बीएनएस में 20 अध्यायों में कुल 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 23 $ 3 अध्यायों में 511 धाराएं थीं। बिखरे हुए प्रावधानों को एक अध्याय में समेकित किया गया है। इसके अलावा, एक ही खंड में कई धाराओं/अध्यायों में परिभाषाएँ और दंड प्रदान किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बीएनएस में धाराओं/अध्यायों की संख्या में परिवर्तन हुआ है।

C. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और मानव शरीर (हत्या) को प्रभावित करने वाले अपराधों के अध्यायों/धाराओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो पूर्ववर्ती आईपीसी में बिखरे हुए थे, उन्हें एक साथ लाया गया है और अध्याय-5 के तहत समेकित किया गया है। इसी प्रकार, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों को भी क्रम में लाया गया है और उसके बाद अध्याय-6 में रखा गया है।

D. अपराधों की सभी 3 अधूरी श्रेणियां अर्थात प्रयास, दुष्प्रेरण और षडयंत्र, एक अध्याय (अध्याय-4) में एक साथ लाए गए हैं जो पहले अलग-अलग अध्यायों में थे।

E. 10 नई धाराएं जोड़ी गयी हैं। इसके अलावा ऐसे 8 और अनुभाग हैं जिनमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। नई और आंशिक रूप से जोड़ी गई धाराओं की सूची (अनुलग्नक-I) में है। उदाहरण के लिए, भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए अपराध के लिए उकसाना अब बीएनएस की धारा 48 के तहत अपराध बना दिया गया है। स्नैचिंग (झपटमारी) के अपराध को भी बीएनएस की धारा 304 के तहत शामिल किया गया है। साथ ही, बीएनएस में मॉब लिंचिंग (भीड़ हत्या), संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध को अलग-अलग अपराध बनाया गया है। किसी लोक सेवक को किसी वैध शक्ति के प्रयोग के लिए मजबूर करने या उसे रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करने वालों को दंडित करने के लिए बीएनएस में एक नई धारा 226 जोड़ी गई है।

F. संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों से निपटने के लिए, संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य के अपराध को निवारक दंड के साथ संहिता में जोड़ा गया है। बीएनएस 2023 की धारा 111 और 113

क्रमशः संगठित अपराधों और आतंकवादी कृत्यों के कमीशन प्रयास, उकसावे, साजिश को दंडित करती हैं। दोनों धाराएं किसी संगठित अपराध सिंडिकेट या आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, किसी संगठित अपराध या आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण देने या छुपाने के कार्य और संगठित अपराध के कमीशन से प्राप्त या प्राप्त किसी भी संपत्ति को रखने के कार्य को भी दंडित करती हैं। संगठित अपराध पर धारा 111 इस क्षेत्र में अधिनियमित विभिन्न राज्य कानूनों का ख्याल रखती है। आतंकवादी कृत्य पर धारा 113 को यूएपीए की तर्ज पर तैयार किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि आतंकवादी कृत्य के अपराध के मामले में, एसपी रैंक से नीचे का अधिकारी यह तय नहीं करेगा कि बीएनएस, 2023 या यूएपीए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाए या नहीं।

G. बीएनएस की धारा 69 में शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने आदि के लिए एक नया अपराध पेश किया गया है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए एक निवारक होगा जो महिला की सहमति लेने और संभोग में शामिल होने के लिए शादी का झूठा वादा, पहचान छुपाने आदि जैसे धोखेबाज तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

H. समझने में आसानी के लिए क्रमशः खंड बी और (अनुबंध – II) में सजा और अपराध की प्रकृति के साथ आईपीसी की बीएनएस और बीएनएस की आईपीसी की संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया है।

I. आईपीसी के 20 प्रावधान हटा दिए गए हैं (अनुलग्नक- III) अपराध जैसे आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास, आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार, आईपीसी की धारा 124-क के तहत राजद्रोह आदि को बी0एन0एस0 में अपराध के रूप में हटा दिया गया है/निरस्त कर दिया गया है।

J. इस पुस्तक मे, बीएनएस के दंड अनुभागों को सजा की गंभीरता के आधार पर अनुभागों में विभाजित किया गया है (अनुलग्नक -V) और (अनुलग्नक -VI) में क्रमश 3 वर्ष या अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम की सज़ा वाली धाराएँ और 7 वर्ष या अधिक की सज़ा वाली धाराएँ सूचीबद्ध हैं।

K. बीएनएस में एक नया प्रावधान 117(3) पेश किया गया है, जो गंभीर चोट के ऐसे कृत्यों, जिनके परिणामस्वरूप लगातार मानसिक स्थिति या स्थायी विकलांगता हो सकती है, के लिए कड़ी सजा प्रदान करता है, जिसमें कठोर कारावास की उच्च सजा मिलेगी जो दस वर्ष से अधिक लेकिन इसे आजीवन कारावास (उस व्यक्ति के शेष जीवन का शेष भाग) तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि आईपीसी में पहले गंभीर चोट के लिए 7 साल तक की कैद होती थी।

L. 83 अपराधों में जुर्माने की सजा (सार्थक बनाने के लिए) बढ़ा दी गई है। ₹10/-, 100/-, 200/-, 500/- आदि का जुर्माना बढ़ाकर ₹1000/-, 5000/-, 10,000/- आदि कर दिया गया है।

M. 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा पेश की गई है। वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चा खरीदना, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुँचाना, लोक सेवक का अपमान करना, चोरी करना आदि।

N. पहली बार "सामुदायिक सेवा" को नीचे उल्लिखित 6 छोटे अपराधों के लिए विशेष रूप से प्रदान की गई सजाओं में से एक, के रूप में पेश किया गया है। यह दंड योजना में सुधारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता है जिसका उद्देश्य समाज में न्याय प्राप्त करना है।

a. लोक सेवक बीएनएस की धारा 202 के तहत अवैध रूप से व्यापार में संलग्न है।

b. बीएनएसएस की धारा 84 की उपधारा (i) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना धारा 209 बीएनएस के तहत दंडनीय है।

c. धारा 226 बीएनएस के तहत लोक सेवक की वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास।

d. चोरी के पैसे लौटाने पर छोटी-मोटी चोरी और किसी व्यक्ति को धारा 303(2) बीएनएस के तहत पहली बार दोषी ठहराया जाता है।

e. धारा 355 बीएनएस के तहत शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार।

f. धारा 356 बीएनएस के तहत मानहानि।

O. कुछ अपराधों को लिंग-तटस्थ बना दिया गया है। वे हैं :-

a. 76. विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग :- जो कोई, किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

b. 77. दृश्यरतिकता : जो कोई, किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को, उन परिस्थितियों में, जिनमें वह प्रायः यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी

दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

c. 141. विदेश से बालिका या बालक का आयात करना : जो कोई, इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को, या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, भारत के बाहर के किसी देश से, उस बालिका या बालक को, किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इसके द्वारा बालिका या बालक को विवश या विलुब्ध किया जा सकेगा, भारत में आयात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

P. महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70(1) के तहत सजा का प्रावधान है कम से कम बीस वर्ष या आजीवन कारावास अर्थात तक का प्रावधान है उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन का शेष भाग।

Q. एक नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार के मामले में अलग-अलग सज़ा के लिए आयु आधारित मानदंड को हटा दिया गया है और अब धारा 70(2) में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास (उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक) या मौत की सजा का प्रावधान है।

R. बच्चे की परिभाषा धारा 2(3) में जोड़ी गयी है और ट्रांसजेंडर, पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर सहित कोई भी व्यक्ति को 'लिंग' की परिभाषा धारा 2(10) में शामिल किया गया है। पूरे बीएनएस, 2023 में 'बच्चा' अभिव्यक्ति के उपयोग में एकरूपता लाई गई है, जिसे 'नाबालिग' और 'अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे' अभिव्यक्ति को 'बच्चा' शब्द से प्रतिस्थापित करके हासिल किया गया है।

S. 'रात' को 'सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले' से बदलना।

T. चल संपत्ति में मूर्त और अमूर्त संपत्ति शामिल है। धारा 2(21)

U. बीएनएस, 2023 की धारा 303 (2) निवारण और सजा के सुधारात्मक दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक ओर, किसी भी व्यक्ति को चोरी के लिए दूसरी बार दोषी ठहराए जाने पर, यह धारा 5 वर्ष तक की उच्च सजा का प्रावधान करती है, जिसमें न्यूनतम 1 वर्ष की सजा अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर, जहां चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और पहली बार अपराधी चोरी की गई संपत्ति को बहाल करता है, तो केवल सामुदायिक सेवा की सजा निर्धारित की गई है।

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस
शांति • सेवा • न्याय

खंड ख

सजा और अपराध की प्रकृति के साथ आईपीसी की बीएनएस से संबंधित धाराएं

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
1	1(1)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	---
	1(2)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	---
2	1(3)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	---
3	1(4)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	---
4	1(5)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	---
5	1(6)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	---
6	3(1)	साधारण स्पष्टीकरण	---
7	3(2)	साधारण स्पष्टीकरण	---
8	2(10)	"लिंग"	---
9	2(22)	"वचन"	---
10	2(19) and 2(35)	"पुरुष" "महिला"	---
11	2(26)	"व्यक्ति"	---
12	2(27)	"लोक"	---
13	NA	---	---
14	NA	---	
15	NA	---	---
16	NA	---	---
17	2(12)	"सरकार"	---
18	NA	---	---
19	2(16)	"न्यायाधीश"	---
20	2(5)	"न्यायालय"	---
21	2(28)	"लोक सेवक"	---
22	2(21)	"चल सम्पत्ति"	---
23	2(36) to 2(38)	"सदोष अभिलाभ" "सदोष अभिलाभ प्राप्त करना" और "सदोष हानि उठाना"	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
24	2(7)	"बेईमानी"	---
25	2(9)	"कपटपूर्वक"	---
26	2(29)	"विश्वास करने का कारण"	---
27	3(3)	साधारण स्पष्टीकरण	---
28	2(4)	"कूटकरण"	---
29	2(8)	"दस्तावेज"	---
29-A	2(39)	अपरिभाषित शब्द	---
30	2(31)	"मूल्यवान प्रतिभूति"	---
31	2(34)	"वसीयत"	---
32	3(4)	साधारण स्पष्टीकरण	---
33	2(1) & 2(25)	"कार्य" "लोप"	---
34	3(5)	साधारण स्पष्टीकरण	---
35	3(6)	साधारण स्पष्टीकरण	---
36	3(7)	साधारण स्पष्टीकरण	---
37	3(8)	साधारण स्पष्टीकरण	---
38	3(9)	साधारण स्पष्टीकरण	---
39	2(33)	"स्वेच्छया"	---
40	2(24)	"अपराध"	---
41	2(30)	"विशेष विधि"	---
42	2(18)	"स्थानीय विधि"	---
43	2(15)	"अवैध" और "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध"	---
44	2(14)	"क्षति"	---
45	2(17)	"जीवन"	---
46	2(6)	"मृत्यु"	---
47	2(2)	"जीवजंतु"	---
48	2(32)	"जलयान"	---
49	2(20)	"मास" और "वर्ष"	---
50	NA	---	---
51	2(23)	"शपथ"	---
52	2(11)	"सद्भावपूर्वक"	---
52-A	2(13)	"संश्रय"	---
53	4	दण्ड	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
53-A	NA	---	---
54, 55 & 55-A	5	दण्डादेश का लघुकरण	---
56	NA	---	---
57	6	दण्डावधियों की भिन्नें	---
58	NA	---	---
59	NA	---	---
60	7	दंडादेश (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा	---
61	NA	---	---
62	NA	---	---
63	8(1)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व	---
64	8(2)		---
65	8(3)		---
66	8(4)		---
67	8(5)		---
68	8(6)(क)		---
69	8(6)(ख)		---
70	8(7)		---
71	9	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि	---
72	10	कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है	---
73	11	एकांत परिरोध	---
74	12	एकांत परिरोध की अवधि	---
75	13	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड	---
76	14	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	---
77	15	न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
78	16	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य	---
79	17	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	---
80	18	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना	---
81	19	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है	---
82	20	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	---
83	21	सात वर्ष से ऊपर, किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य	---
84	22	विकृत्तचित्त व्यक्ति का कार्य	---
85	23	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है	---
86	24	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है	---
87	25	सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो	---
88	26	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है	---
89	27	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत्तचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य	---
90	28	सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है	---
91	29	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध हैं	---
92	30	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
93	31	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना	---
94	32	वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है	---
95	33	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य	---
96	34	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें	---
97	35	शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार	---
98	36	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत्तचित्त, आदि हो	---
99	37	कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है	---
100	38	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है	---
101	39	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है	---
102	40	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना	---
103	41	कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है	---
104	42	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है	---
105	43	सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना	---
106	44	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है	---
107	45	किसी बात का दुष्प्रेरण	---
108	46	दुष्प्रेरक	---
108-A	47	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
109	49	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वही, जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है
110	50	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वही, जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है
111	51	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वही, जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशयित अपराध के लिए है
112	52	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वही, जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है
113	53	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वही जो किए गए अपराध के लिए है

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
114	54	अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वही जो किए गए अपराध के लिए है
115	55	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध कारित नहीं किया जाता है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय अजमानतीय	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
		यदि अपहानि करने वाला कार्य दुष्प्रेरण के परिणास्वरूप किया जाता है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय अजमानतीय	14 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
116	56	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध कारित नहीं किया जाता है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों
		यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
117	57	जनसाधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	कारावास, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना
118	58(क)	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाता है:- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय अजमानतीय	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
	58(ख)	यदि अपराध नहीं किया जाता है:- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय जमानतीय	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
119	59(क)	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है यदि अपराध कर दिया जाता है:- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों
	59(ख)	यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है:- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय अजमानतीय	10 वर्ष के लिए कारावास
	59(ग)	यदि अपराध नहीं किया जाता है:- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय जमानतीय	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
120	60(क)	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना:- यदि अपराध कर दिया जाता है:-- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय. इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय.	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है
	60(ख)	यदि अपराध नहीं किया जाता है:- इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। जमानतीय।	उस दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों।
120-A	61(1)	आपराधिक षड्यंत्र	
120-B	61(2)(क)	आपराधिक षड्यंत्र मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र। इसके अनुसार कि अपराध, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसके अनुसार कि वह अपराध, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, जमानतीय है या अजमानतीय।	वही, जो उस अपराध के, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के लिए है।
	61(2)(ख)	कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
121	147	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु, या आजीवन कारावास, और जुर्माना।
121-A	148	राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को करने के लिए षड्यंत्र। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
122	149	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध, आदि संग्रह करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
123	150	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
124	151	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि पर हमला करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
124-A	NA	---	---
125	153	भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास और जुर्माना, या 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना।
126	154	भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, और कतिपय सम्पत्ति की जब्ती।
127	155	धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और कतिपय सम्पत्ति की जब्ती।
128	156	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
129	157	उपेक्षा से लोक सेवक का राजकैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना।
130	158	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
131	159	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
132	160	विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
133	161	अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
134	162	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाता है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
135	163	अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
136	164	अभित्याजक को संश्रय देना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
137	165	मास्टर या भारसाधक व्यक्ति की उपेक्षा से वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। असंज्ञेय। जमानतीय।	3,000 रुपए का जुर्माना।
138	166	अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप वह अपराध किया जाता है। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों।
139	167	कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।	---
140	168	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास, या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
141	189(1)	विधिविरुद्ध जमाव।	---
142 to 143	189(2)	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
144	189(4)	किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
145	189(3)	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
146	191(1)	बलवा करना।	---
147	191(2)	बलवा। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
148	191(3)	घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
149	190	विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।	वही, जो उस अपराध के लिए है।
150	189(6)	विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, वचनबद्ध करना, या नियोजित करना। संज्ञेय। इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।	वही, जो ऐसे जमाव के सदस्य के लिए और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए है।
151	189(5)	पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात्, उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
152	195(1)	लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, जो कम से कम 25,000 रूपए होगा, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
	195(2)	लोक सेवक, जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो, तब हमले की धमकी देना या काम में बाधा डालने का प्रयत्न करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों।
153	192	बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाता है। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
		यदि बलवा नहीं किया जाता है। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
153-A	196(1)	धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों।
	196(2)	पूजा के स्थान, आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
153-AA	NA	---	---
153-B	197(1)	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़कथन। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	197(2)	यदि सार्वजनिक पूजा स्थल आदि पर किया जाए। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
154	193(1)	बलवे, आदि की सूचना का भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1,000 रुपए का जुर्माना।
155	193(2)	जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जिसकी ओर से बलवा होता है, उस व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना।	Fine

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
156	193(3)	जिस स्वामी या अधिभोगी के फायदे के लिए बलवा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	जुर्माना।
157	189(7)	विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
158	189(8)	विधिविरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	189 (9)	या आयुध सहित जाना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
159	194(1)	दंगा।	---
160	194(2)	दंगा करना। संज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
161 to 165-A	NA	---	---
166	198	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करता है। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
166-A	199	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है। संज्ञेय। जमानतीय।	कम से कम 6 मास के लिए कठोर कारावास, जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
166-B	200	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
167	201	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
168	202	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा।
169	203	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों और यदि संपत्ति क्रय कर ली गई है तो उसका अधिहरण।
170	204	लोक सेवक का प्रतिरूपण। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो कम से कम 6 मास का होगा, किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना।
171	205	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
171-A	169	अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित।	---
171-B	170	रिश्वत।	---
171-C	171	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना।	---
171-D	172	निर्वाचनों में प्रतिरूपण।	---
171-E	173	रिश्वत। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना।
171-F	174	निर्वाचन में असम्यक् असर डालना या प्रतिरूपण करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों।
171-G	175	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। असंज्ञेय। जमानतीय।	जुर्माना।
171-H	176	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। असंज्ञेय। जमानतीय।	10,000 रुपए का जुर्माना।
171-I	177	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। असंज्ञेय। जमानतीय।	5,000 रुपए का जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
172	206(क)	लोक सेवक से समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	206(ख)	यदि वह समन या सूचना न्यायालय में वैयक्तिक उपस्थिति आदि अपेक्षित करती है। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
173	207(क)	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	207(ख)	यदि समन, आदि न्यायालय में वैयक्तिक उपस्थिति, आदि अपेक्षित करते हैं। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
174	208(क)	लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
	208(ख)	यदि आदेश न्यायालय में वैयक्तिक उपस्थिति, आदि अपेक्षित करता है। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
174-A	209	इस संहिता की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों या समुदाय सेवा।
		किसी ऐसे मामले में, जहां किसी व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित करते हुए इस संहिता की धारा 84 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की गई है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
175	210(क)	दस्तावेज प्रस्तुत करने या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने का लोप। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	210(ख)	यदि उस दस्तावेज का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना या परिदत्त किया जाना अपेक्षित है। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
176	211(क)	सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी सूचना या जानकारी देने का साशय लोप। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	211(ख)	यदि अपेक्षित सूचना या जानकारी अपराध किए जाने, आदि के विषय में है। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	211(ग)	यदि सूचना या जानकारी इस संहिता की धारा 394 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
177	212(क)	लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या सूचना देना। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
	212(ख)	यदि अपेक्षित सूचना अपराध किए जाने आदि के विषय में हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
178	213	शपथ से इंकार करना जब लोक सेवक द्वारा वह शपथ लेने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाता है। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
179	214	सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होते हुए प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
180	215	लोक सेवक से किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना जब वह वैसा करने के लिए विधिक रूप से अपेक्षित है। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए सादा कारावास, या 3,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
181	216	लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य के रूप में ऐसा कथन करना जो मिथ्या है। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
182	217	किसी लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति या क्षोभ करने के लिए करे। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
183	218	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों।
184	219	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए कारावास, या 5000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
185	220	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए आमंत्रित संपत्ति के लिए अवैध क्रय या बोली लगाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए कारावास, या 200 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
186	221	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास, या 2,500 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
187	222(क)	लोक सेवक की सहायता करने का लोप जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 2,500 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	222(ख)	ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
188	223(क)	लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करे। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 2,500 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
	223(ख)	यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को संकट या बलवा या दंगा कारित करे। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
189	224	लोक सेवक को क्षति की धमकी। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
190	225	लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए क्षति की धमकी। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
191	227	मिथ्या साक्ष्य देना।	---
192	228	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना।	---
193	229(1)	न्यायिक कार्यवाही में साशय मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना।
	229(2)	किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना।
194	230(1)	किसी व्यक्ति को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना।
	230(2)	यदि निर्दोष व्यक्ति उसके द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है। असंज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या यथा उपर्युक्त।
195	231	आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	वही, जो अपराध के लिए है।
195-A	232(1)	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	232(2)	यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और मृत्यु या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है। संज्ञेय। अजमानतीय।	वही, जो अपराध के लिए है।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
196	233	उस साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में काम में लाना जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना ज्ञात है। असंज्ञेय। इसके अनुसार कि ऐसा साक्ष्य देने का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है।
197	234	किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है। असंज्ञेय। जमानतीय।	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है।
198	235	प्रमाणपत्र को जिसका तात्त्विक बात के संबंध में मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है।
199	236	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन। असंज्ञेय। जमानतीय।	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है।
200	237	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सत्य के रूप में काम में लाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है।
201	238(क)	किए गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए उस अपराध के बारे में मिथ्या सूचना देना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है। इसके अनुसार कि ऐसा अपराध, जिसकी बाबत साक्ष्य का विलोपन हुआ है, संज्ञेय है या असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	238(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	238(ग)	यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। असंज्ञेय। जमानतीय।	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
202	239	सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
203	240	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
204	241	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने की लिए उसको छिपाना या नष्ट करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
205	242	वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई कार्य या कार्यवाही करने या जमानतदार या प्रतिभू बनने के प्रयोजन के लिए मिथ्या प्रतिरूपण। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
206	243	सम्पत्ति को जब्त किए जाने के रूप में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने या डिक्री के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, आदि। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या 5,000 रुपए जुर्माना, या दोनों।
207	244	सम्पत्ति को जब्त किए जाने के रूप में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में लिए जाने से निवारित करने के लिए उस पर अधिकार के बिना दावा करना या उस पर किसी अधिकार के बारे में प्रवंचना करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
208	245	ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना या डिक्री का तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित किया जाना सहन करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों।
209	246	न्यायालय में मिथ्या दावा। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
210	247	ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित करवाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
211	248(क)	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। असंज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास या 2 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनो।
	248(ख)	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष, या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही। असंज्ञेय। जमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
212	249(क)	अपराधी को संश्रय देना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	249(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	249(ग)	यदि 1 वर्ष और न कि 10 वर्ष के लिए, कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का, और उस भांति का, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
213	250(क)	अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	250(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	250(ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का कारावास, जो उस अपराध या जुर्माना, या दोनों के लिए उपबंधित है।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
214	251 (क)	अपराधी को बचाने के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	251(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	251(ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है। असंज्ञेय। जमानतीय।	उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का कारावास, जो उस अपराध या जुर्माना, या दोनों के लिए उपबंधित है।
215	252	अपराधी को पकड़वाए बिना उस चल सम्पत्ति को वापस कराने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, जिससे कोई व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया गया है। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, दोनों।
216	253 (क)	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	253(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	जुर्माना सहित या रहित, 3 वर्ष के लिए कारावास।
	253(ग)	यदि 1 वर्ष के लिए, और न कि 10 वर्ष के लिए, कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या जुर्माना, या दोनों।
216-A	254	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कठोर कारावास, और जुर्माना।
216-B	NA	---	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
217	255	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
218	256	किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
219	257	किसी न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा ऐसा आदेश, रिपोर्ट, आदि भ्रष्टतापूर्वक दिया जाना और सुनाया जाना, जो विधि के प्रतिकूल है। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
220	258	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
221	259(क)	अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है। इसके अनुसार कि ऐसा अपराध, जिसके संबंध में ऐसा लोप हुआ है, संज्ञेय है या असंज्ञेय। जमानतीय।	जुर्माना सहित या रहित, 7 वर्ष के लिए कारावास।
	259 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	जुर्माना सहित या रहित 3 वर्ष के लिए कारावास।
	259(ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है। संज्ञेय। जमानतीय।	जुर्माना सहित या रहित, 2 वर्ष के लिए कारावास।
222	260(क)	न्यायालय के दंडादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दंडादेश के अधीन है। संज्ञेय। अजमानतीय।	जुर्माना सहित या रहित, आजीवन कारावास, या 14 वर्ष के लिए कारावास।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
	260(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडादेश के अधीन है। संज्ञेय। अजमानतीय।	जुर्माना सहित या रहित, 7 वर्ष के लिए कारावास।
	260(ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास के दंडादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
223	261	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध में से निकल भागना सहन करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
224	262	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
225	263(क)	किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्वक अभिरक्षा से उसे छुड़ाना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	263(ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध से आरोपित हो। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	263(ग)	यदि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध से आरोपित है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	263(घ)	यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
	263(ङ)	यदि मृत्यु दंडादेश के अधीन है। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
225-A	264 (क)	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक को पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना— (क) जब लोप या सहन करना साशय है, असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
	264 (ख)	(ख) जब लोप या सहन करना उपेक्षापूर्वक है। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
225-B	265	उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
226	NA	---	---
227	266	दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। संज्ञेय। अजमानतीय।	मूल दंडादेश का दंड या यदि दंड का भाग भोग लिया गया है, तो अवशिष्ट भाग।
228	267	न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
228-A (1)/ (2)	72	कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
228-A (3)	73	न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
229	268	असेसर का प्रतिरूपण असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।
229-A	269	जमानत पर या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता। संज्ञेय। अजमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।
230 to 232	178	सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
233 to 235	181	कूटरचित या कूटकृत सिक्कों, सरकारी स्टांम्प, करेंसी नोटो या बैंक नोटों को बनाना, क्रय करना, विक्रय करना या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
236	NA	---	---
237	NA	---	---
238	NA	---	---
239 to 241	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
242 to 243	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
244	187	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना, जो विधि द्वारा नियत है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
245	188	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
246 to 249	178	सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
250 to 251	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
252 to 253	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
254	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
255	178	सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
256 to 257	181	कूटरचित या कूटकृत सिक्कों, सरकारी स्टांम्प, करेंसी नोटो या बैंक नोटों को बनाना, क्रय करना, विक्रय करना या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
258	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
259	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
260	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
261	183	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना, या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
262	184	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
263	185	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न को छीलकर मिटाना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
263-A	186	बनावटी स्टाम्प। संज्ञेय। जमानतीय।	200 रुपए का जुर्माना।
264	NA	---	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
265	NA	---	---
266	NA	---	---
267	NA	---	---
268	270	लोक न्यूसेन्स।	---
269	271	उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
270	272	परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
271	273	किसी संगरोधन के नियम की जानते हुए अवज्ञा। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
272	274	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण, जिससे वह अपायकर बन जाए। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
273	275	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
274	276	विक्रय के लिए आशयित औषधीय या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह हानिकर हो जाए। असंज्ञेय। अजमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
275	277	अपमिश्रित ओषधियों का विक्रय। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
276	278	जानते हुए ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
277	279	लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
278	280	वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1,000 रुपए का जुर्माना।
279	281	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
280	282	जलयान का उतावलेपन से चलाना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
281	283	भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माने से, जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा।
282	284	असुरक्षित या अतिभारित जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
283	285	किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन-पथ में संकट या बाधा कारित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	5,000 रुपए का जुर्माना।
284	286	विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
285	287	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
286	288	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
287	289	मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
288	290	किसी भवन निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सन्निर्माण, आदि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
289	291	जीव-जन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
290	292	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड। असंज्ञेय। जमानतीय।	1,000 रुपए का जुर्माना।
291	293	न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनो।
292	294(1)	Sale, etc., of obscene books, etc.	---
	294(2)	अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय, आदि। संज्ञेय। जमानतीय।	प्रथम दोषसिद्धि पर 2 वर्ष के लिए कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, 5 वर्ष के लिए कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना।
293	295	शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि। संज्ञेय। जमानतीय।	प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष के लिए कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, 7 वर्ष के लिए कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना।
294	296	अश्लील कार्य और गाने। संज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनो।
294-A	297(1)	लाटरी कार्यालय रखना। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	297(2)	लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन। असंज्ञेय। जमानतीय।	5,000 रुपए का जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
295	298	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को अपवित्र, आदि करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
295-A	299	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य, जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
296	300	धार्मिक जमाव में विघ्न करना। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
297	301	कब्रिस्तानों, आदि में अतिचार करना। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
298	302	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से, शब्द, आदि उच्चारित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
299	100	आपराधिक मानव वध।	
300	101	हत्या।	
301	102	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।	
302	103	हत्या। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना।
303	104	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा।
304	105	हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु, आदि कारित करने के आशय से किया जाए। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास से, या कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
		यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु, आदि कारित करने के किसी आशय के बिना, किया जाए। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
304-A	106	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष का कारावास और जुर्माना
304-B	80	दहेज मृत्यु। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा।
305	107	शिशु या विकृतचित्त व्यक्ति, आदि को आत्महत्या का दुष्प्रेरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु, या आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
306	108	आत्महत्या का दुष्प्रेरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
307	109 (1)	हत्या का प्रयत्न। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या यथाउपरोक्त।
	109(2)	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या का प्रयत्न, यदि उपहति कारित हुई हो। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल से होगा।
308	110	आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
		यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित होती है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
309	226	विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या प्रयोग करने में प्रतिरोध के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा।
310	NA	---	---
311	NA	---	---
312	88	गर्भपात कारित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
		यदि महिला स्पन्दनगर्भा हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
313	89	महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
314	90	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		यदि वह कार्य महिला की सम्मति के बिना किया जाता है। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या यथा उपरोक्त।
315	91	बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
316	92	ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात् बालक की मृत्यु कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
317	93	बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का उसके पूर्ण परित्याग के आशय से अरक्षित डाल दिया जाना। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
318	94	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
319	114	उपहति।	
320	116	घोर उपहति।	
321	115(1)	स्वेच्छया उपहति कारित करना।	
322	117(1)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	
323	115(2)	स्वेच्छया उपहति कारित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों।
324	118(1)	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास या 20 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों।
325	117(2)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
Fresh Addition	117(3)	यदि उपहति के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता या सतत् शिथिल अवस्था होती है। संज्ञेय। अजमानतीय।	कठोर कारावास, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल से होगा।
Fresh Addition	117(4)	5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
326	118(2)	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना [धारा 122(2) में यथा उपबंधित के सिवाय]। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या कारावास, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना।
326-A	124(1)	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
326-B	124(2)	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
327	119(1)	संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
328	123	अपराध करने के आशय से विष, आदि द्वारा उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
329	119(2)	उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वैच्छया घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
330	120(1)	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने, आदि के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
331	120(2)	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने, आदि के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
332	121(1)	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
333	121(2)	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 1 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
334	122(1)	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वैच्छया उपहति कारित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
335	122(2)	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर घोर उपहति कारित करना। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
336 to 338	125	कार्य, जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो। संज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास या 2,500 रुपए का जुर्माना या दोनों।
	125(क)	जहां उपहति कारित की गई है। संज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
	125(ख)	जहां घोर उपहति कारित की गई है। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष का कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
339	126(1)	सदोष अवरोध।	---
340	127(1)	सदोष परिरोध।	---
341	126(2)	किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना। संज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
342	127(2)	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
343	127(3)	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
344	127(4)	10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना।
345	127(5)	किसी व्यक्ति को यह जानते हुए सदोष परिरोध में रखना कि उसको छोड़ने के लिए रिट जारी की गई है। संज्ञेय। जमानतीय।	किसी अन्य धारा के अधीन किसी अवधि के लिए कारावास के अतिरिक्त, 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
346	127(6)	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। संज्ञेय। जमानतीय।	उस दण्ड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह दायी हो, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना।
347	127(7)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने, आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
348	127(8)	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या सम्पत्ति, आदि को प्रत्यावर्तित करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
349	128	बल।	---
350	129	आपराधिक बल।	---
351	130	हमला।	---
352	131	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
353	132	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। संज्ञेय। अजमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
354	74	महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। संज्ञेय। अजमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
354-A	75(2)	उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों।
	75(3)	उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। संज्ञेय। अजमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
354-B	76	विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 3 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
354-C	77	दृश्यरतिकता। संज्ञेय। जमानतीय।	कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 3 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
354-D	78	पीछा करना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
355	133	गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा, किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
356	134	किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
357	135	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
358	136	गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 मास के लिए सादा कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
359	137(1)	व्यपहरण।	---
360	137(1)(a)	व्यपहरण।	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
361	137(1) (b)	व्यपहरण। 	---
362	138	अपहरण।	---
363	137(2)	व्यपहरण। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
363-A	139(1)	भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	कठोर कारावास, जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास के लिए हो सकेगा और जुर्माना।
	139(2)	भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु को विकलांग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन तक हो सकेगा और जुर्माना।
364	140(1)	हत्या करने के लिए या फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना
364-A	140(2)	फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना।
365	140(3)	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
366	87	किसी महिला को विवाह, आदि करने के लिए विवश करने के लिए उसे व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
366-A	96	शिशु का उपापन। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
366-B	141	विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
367	140(4)	किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि के अधीन करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
368	142	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	व्यपहरण या अपहरण के लिए दंड।
369	97	दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
370	143 (2)	व्यक्ति का दुर्व्यापार। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 7 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
	143 (3)	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।
	143 (4)	किसी शिशु का दुर्व्यापार। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।
	143 (5)	एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 14 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।
	143 (6)	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर शिशु के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।
	143 (7)	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का शिशु के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
370-A	144 (1)	ऐसे किसी शिशु का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
	144 (2)	ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
371	145	दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
372	98	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
373	99	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को खरीदना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 7 वर्ष का कारावास, किंतु जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
374	146	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
375	63	बलात्संग।	
376(1)/ (2)	64 (1)	बलात्संग। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
	64 (2)	किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है, न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में के किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल से होगा और जुर्माना।
376(3)	65(1)	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध कारित करने वाले व्यक्ति। संज्ञेय। अजमानतीय।	ऐसी अवधि का कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।
376-A	66	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति, जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड।
376-AB	65(2)	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध कारित करने वाले व्यक्ति। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माने से या मृत्युदंड।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
376-B	67	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्ककरण के दौरान मैथुन। संज्ञेय (केवल पीड़िता के परिवाद पर)। जमानतीय।	कम से कम 2 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
376-C	68	प्राधिकार, आदि में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास से, किन्तु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना।
376-D	70(1)	सामूहिक बलात्संग। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना।
376-DA 376-DB	70(2)	अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माने से या मृत्युदंड।
376-E	71	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड।
377	NA	---	---
378	303(1)	चोरी।	
379	303(2)	चोरी। संज्ञेय। अजमानतीय।	कठोर कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
		उन मामलों में, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है। असंज्ञेय। जमानतीय।	चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे समुदाय सेवा से दंडित किया जाएगा।
380	305	निवास-गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल, आदि में चोरी। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
381	306	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या नियोक्ता के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
382	307	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, और जुर्माना।
383	308(1)	उद्दापन।	---
384	308(2)	उद्दापन। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
385	308(3)	उद्दापन करने के लिए क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
386	308(5)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
387	308(4)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
388	308(7)	मृत्यु, आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन। संज्ञेय। जमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
389	308(6)	उद्दापन करने के लिए मृत्यु, आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर किसी व्यक्ति को भय में डालना। संज्ञेय। जमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
390	309(1)/ (2)/(3)	लूट	---
391	310(1)	डकैती।	---
392	309(4)	लूट संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
		यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए संज्ञेय। अजमानतीय।	14 वर्ष के लिए कठोर कारावास।
393	309(5)	लूट करने का प्रयत्न। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
394	309(6)	उपहति कारित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, और जुर्माना।
395	310(2)	डकैती। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, और जुर्माना।
396	310(3)	डकैती में हत्या। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
397	311	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष से अनधिक के लिए कारावास।
398	312	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष से अनधिक के लिए कारावास।
399	310(4)	डकैती करने के लिए तैयारी करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
400	310(6)	अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त व्यक्तियों की टोली का होना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
401	313	अभ्यासत: चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती-फिरती टोली का होना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
402	310(5)	डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
403	314	चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेना। असंज्ञेय। जमानतीय।	कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना।
404	315	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		यदि मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित लिपिक या व्यक्ति द्वारा। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास।
405	316(1)	आपराधिक न्यास-भंग।	---
406	316(2)	आपराधिक न्यास-भंग। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
407	316(3)	वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यास-भंग। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
408	316(4)	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास-भंग। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
409	316(5)	लोक सेवक द्वारा या बैंककार, व्यापारी या अभिकर्ता, आदि द्वारा आपराधिक न्यास-भंग। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
410	317(1)	चुराई हुई संपत्ति।	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
411	317(2)	चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
412	317(3)	चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई थी, बेईमानी से प्राप्त करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
413	317(4)	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासत: व्यापार करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
414	317(5)	चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
415	318(1)	छल।	---
416	319(1)	प्रतिरूपण द्वारा छल।	---
417	318(2)	छल। अंसज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
418	318(3)	उस व्यक्ति से छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या विधिक संविदा द्वारा आबद्ध था। अंसज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
419	319(2)	प्रतिरूपण द्वारा छल। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माने से या दोनों से।
420	318(4)	छल और बेईमानी से संपत्ति के परिदान के लिए उत्प्रेरित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
421	320	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। असंज्ञेय। जमानतीय।	कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
422	321	अपराधी का देय ऋण और मांग को उनके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
423	322	अंतरण के ऐसे लेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
424	323	कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को छिपाना या अपसारित करना, या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में कपटपूर्वक सहायता करना, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे का, जिसका वह हकदार है, छोड़ देना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
425	324(1)	रिष्टि।	---
426	324(2)	रिष्टि। असंज्ञेय। जमानतीय।	6 मास के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों।
427	324(4)	रिष्टि जिससे पच्चीस हजार रुपए की किंतु 2 लाख रुपए से कम की हानि या नुकसान होता है। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	324(5)	रिष्टि, जिससे एक लाख रुपए या इससे अधिक की हानि या नुकसान होता है। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
428 & 429	325	किसी जीव-जन्तु को वध करने, विकलांग करने के द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
430	326(क)	कृषिक प्रयोजनों, आदि के लिए जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
431	326(ख)	लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या नाव्य जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति ले जाने के लिए अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
432	326(ग)	लोक जलनिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
433	326(घ)	किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने या किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित करने द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
434	326(ङ)	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न को नष्ट करने या हटाने, आदि द्वारा रिष्टि। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
435	326(च)	नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
436	326(छ)	गृह, आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
437	327(1)	तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या अक्षेमकर बनाने के आशय से रिष्टि। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
438	327(2)	पिछली धारा में वर्णित रिष्टि जब अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई हो। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
439	328	चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को चलाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
440	324(6)	किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि। संज्ञेय। जमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
441	329(1)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार।	---
442	329(2)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार।	---
443	330(1)	गृह-अतिचार और गृह-भेदन।	---
444	NA	---	---
445	330(2)	गृह-अतिचार और गृह-भेदन।	---
446	NA	---	---
447	329(3)	आपराधिक अतिचार। संज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
448	329(4)	गृह-अतिचार। संज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों।
449	332(क)	मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
450	332(ख)	आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
451	332(ग)	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार। संज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास।
		यदि वह अपराध चोरी है। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास।
452	333	उपहति कारित करने, हमला करने, आदि की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
453	331(1)	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन। संज्ञेय। अजमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
454	331(3)	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		यदि वह अपराध चोरी है। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास।
455	331(5)	उपहति कारित करने, हमला, आदि की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन। संज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
456	331(2)	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
457	331(4)	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		यदि वह अपराध चोरी है। संज्ञेय। अजमानतीय।	14 वर्ष के लिए कारावास।
458	331(6)	उपहति कारित करने, आदि की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन। संज्ञेय। अजमानतीय।	14 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
459	331(7)	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय कारित घोर उपहति। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
460	331(8)	रात्रौ गृह-भेदन, आदि में संयुक्तत: सम्पृक्त समस्त व्यक्तियों में से एक द्वारा कारित मृत्यु या घोर उपहति। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
461	334(1)	ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, बेईमानी से तोड़ कर खोलना या उद्भंधित करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
462	334(2)	ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, न्यस्त किए जाने पर कपटपूर्वक खोलना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
463	336(1)	कूटरचना।	---
464	335	मिथ्या दस्तावेज रचना।	---
465	336(2)	कूटरचना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
466	337	न्यायालय के अभिलेख या जन्मों के रजिस्टर, आदि की, जो लोक सेवक द्वारा रखा जाता है, कूटरचना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना।
467	338	मूल्यवान प्रतिभूति, विल या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण के प्राधिकार, या किसी धन, आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		जब मूल्यवान प्रतिभूति केंद्रीय सरकार का वचनपत्र है। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
468	336(3)	छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
469	336(4)	किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाएगा, की गई कूटरचना। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
470	340(1)	कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।	---
471	340(2)	कूटरचित दस्तावेज को यह जानते हुए कि वह कूटरचित है असली के रूप में उपयोग में लाना। संज्ञेय। जमानतीय।	ऐसे दस्तावेज की कूटरचना के लिए दंड।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
472	341(1)	धारा 338 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना या किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना। संज्ञेय। जमानतीय।	आजीवन कारावास, या 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
473	341(2)	धारा 338 के अधीन अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति करना या किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
474	339	किसी दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए इस आशय से कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जाए अपने कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज धारा 337 में वर्णित भांति का हो। संज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		यदि वह धारा 338 में वर्णित भांति का हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	आजीवन कारावास, या 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
475	342(1)	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। असंज्ञेय। जमानतीय।	आजीवन कारावास, या 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
476	342(2)	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
477	343	विल, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या विरूपित करना या उसे नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करना, या छिपाना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास या 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
477-A	344	लेखों का मिथ्याकरण। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
478	NA	---	---
479	345(1)	सम्पत्ति-चिह्न।	--
480	NA	---	---
481	345(2)	सम्पत्ति-चिह्न।	---
482	345(3)	मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करे या क्षति करे। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
483	347(1)	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
484	347(2)	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का या किसी सम्पत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का द्योतन करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
485	348	किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
486	349	कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का जानते हुए विक्रय। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
487	350(1)	किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है, जो उसमें नहीं है, आदि। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
488	350(2)	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
489	346	क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिह्न को मिटाना, नष्ट करना या विरूपित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
489-A	178	सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
489-B	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
489-C	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
489-D	181	कूटरचित या कूटकृत सिक्कों, सरकारी स्टांम्प, करेंसी नोटो या बैंक नोटों को बनाना, क्रय करना, विक्रय करना या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
489-E	182 (1)	करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। असंज्ञेय। जमानतीय।	300 रुपए का जुर्माना।
	182 (2)	मुद्रक का नाम और पता बताने से इंकार पर। असंज्ञेय। जमानतीय।	600 रुपए का जुर्माना।
490	NA	---	---
491	357	किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग के कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आबद्ध होते हुए उसे करने का स्वेच्छया लोप। असंज्ञेय। जमानतीय।	3 मास के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।
492	NA	---	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
493	81	पुरुष द्वारा महिला को, जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
494	82(1)	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
495	82(2)	उस व्यक्ति से, जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है, पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर वही अपराध। असंज्ञेय। जमानतीय।	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
496	83	किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि वह तद्द्वारा विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, कपटपूर्ण आशय से विवाह का कर्म करना। असंज्ञेय। अजमानतीय।	7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
497	NA	---	---
498	84	विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
498-A	85	किसी विवाहित महिला के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड। संज्ञेय, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध किए जाने से संबंधित सूचना, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा या यदि कोई ऐसा नातेदार नहीं है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, दी गई है। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
498	86	क्रूरता की परिभाषा।	---
499	356(1)	मानहानि।	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
500	356(2)	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा।
		किसी अन्य मामले में मानहानि। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनो या सामुदायिक सेवा।
501	356(3)	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
		किसी अन्य मामले में मानहानिकारक जानते हुए, किसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
502	356(4)	मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह जानते हुए विक्रय कि उसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
		किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को अंतर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
503	351(1)	आपराधिक अभित्रास।	---

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
504	352	लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
505	353(1)	मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो या लोक-शान्ति के विरुद्ध अपराध हो। असंज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	353(2)	मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	353(3)	पूजा के स्थान, आदि में किया गया मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो। संज्ञेय। अजमानतीय।	5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
506	351(2)	आपराधिक अभित्रास। असंज्ञेय। जमानतीय।	2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
	351(3)	यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने, आदि की हो। असंज्ञेय। जमानतीय।	7 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
507	351(4)	अनाम संसूचना द्वारा या वह धमकी कहां से आती है उसके छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास। असंज्ञेय। जमानतीय।	धारा 351(1) के अधीन दंड के अतिरिक्त, 2 वर्ष के लिए कारावास।
508	354	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
509	79	महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंग-विक्षेप करना, आदि। संज्ञेय। जमानतीय।	3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना।

आईपीसी	बीएनएस	शीर्षक Cognizable/Non-Cognizable Bailable/Non- Bailable	दंड
510	355	मत्तता की हालत में लोक स्थान, आदि में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना। असंज्ञेय। जमानतीय।	24 घंटे के लिए सादा कारावास, या 1000 रुपए का जुर्माना, या दोनों या दोनों या सामुदायिक सेवा।
511	62	आजीवन कारावास, या कारावास से दण्डनीय अपराध को कारित करने का प्रयत्न करना और ऐसे प्रयत्न में अपराध कारित करने की दशा में कोई कार्य करना। इसके अनुसार कि अपराध, संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसके अनुसार कि वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया जमानतीय है या अजमानतीय।	आजीवन कारावास के आधे, या उस अपराध के लिए उपबन्धित, दीर्घतम अवधि के आधे से अनधिक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

बीएनएस में नए जोड़े गए अनुभाग

नये परिवर्धन	48	भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण।	-
नये परिवर्धन	69	प्रवंचनापूर्ण उपायों, आदि का उपयोग करके मैथुन करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना।
नये परिवर्धन	95	अपराध कारित करने के लिए किसी बच्चे को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कम से कम 3 वर्ष का कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना।
नये परिवर्धन	111 (1)	संगठित अपराध की परिभाषा	
	111(2) (क)	संगठित अपराध, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा।

	111(2) (ख)	किसी अन्य दशा में। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
	111(3)	संगठित अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षडयंत्र करना या आशयपूर्वक उसे सुकर बनाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
	111(4)	संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
	111(5)	आशयपूर्वक किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध कारित किया है, संश्रय देना या छिपाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
	111(6)	संगठित अपराध से व्यत्पुन्न या प्राप्त कोई संपत्ति धारण करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
	111(7)	संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य की ओर से संपत्ति धारण करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो 10 वर्ष तक के लिए हो सकेगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा।
नये परिवर्धन	112	छोटे संगठित अपराध। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना।
नये परिवर्धन	113 (1)	आतंकवादी कृत्य की परिभाषा	
	113(2) (क)	आतंकवादी कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। संज्ञेय। अजमानतीय।	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना।
	113(2) (ख)	किसी अन्य दशा में। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना।

	113(3)	आतंकवादी कृत्य किए जाने का प्रयत्न, षडयंत्र, दुष्प्रेरण, आदि करना या जानबूझकर उसे सुकर बनाना। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना।
	113 (4)	आंतकवादी कृत्य कारित करने के लिए कैम्प, प्रशिक्षण आदि आयोजित करना संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना।
	113(5)	उस संगठन का सदस्य होना, जो आतंकवादी कृत्य में अंतर्वलित है। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास और जुर्माना।
	113(6)	किसी व्यक्ति को, जिसने आतंकवादी कृत्य कारित किया है, संश्रय देना या छिपाना, आदि। संज्ञेय। अजमानतीय।	कारावास, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना।
	113(7)	आतंकवादी कृत्य से व्यत्पुन्न या प्राप्त कोई संपत्ति धारण करना। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास और जुर्माना।
नये परिवर्धन	152	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। संज्ञेय। अजमानतीय।	आजीवन कारावास, या 7 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना।
नये परिवर्धन	226	विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या प्रयोग करने में प्रतिरोध के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। असंज्ञेय। जमानतीय।	1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा।
नये परिवर्धन	304(1)	झपटमारी।	---
	304(2)	झपटमारी। संज्ञेय। अजमानतीय।	3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
नये परिवर्धन	35	निरसन और व्यावृत्ति।	

खंड ग

अनुलग्नक – I

बीएनएस में नए अनुभाग और आंशिक रूप से जोड़े गए प्रावधान

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
2 (3)	"शिशु" से अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
48	भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।
69	जो कोई, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**— "प्रवंचनापूर्ण साधनों" में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है।
95	अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जो कोई, किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। **स्पष्टीकरण**— लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है।
103	हत्या के लिए दण्ड। 103. (1) जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।A (2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

106	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 106. (1) जो कोई, उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है, कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। (2) जो कोई, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात्, इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना, भाग जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
111	संगठित अपराध। 111. (1) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत् विधिविरूद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधिविरूद्ध साधनों द्वारा कारित करता है, वह संगठित अपराध गठित करेगा। **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,— (i) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी सतत् विधि विरूद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। (ii) "सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो तीन या अधिक वर्ष के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान कर लिया है और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं;

(iii) "आर्थिक अपराध" में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टापों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन कपट या किसी प्ररूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में, कोई कृत्य करना शामिल है।

(2) जो कोई, संगठित अपराध कारित करेगा, —

(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

(3) जो कोई, संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षडयंत्र करता है या यह जानते हुए कारित किया जाना सुकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

(5) जो कोई, किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध कारित किया है, साशयपूर्वक संश्रय देता है या छिपाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा :

परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है।

(6) जो कोई, संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से, व्यत्पुन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

(7) यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति या किसी भी समय ऐसी किसी चल या अचल सम्पत्ति को कब्जे में रखता है, जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

112	छोटे संगठित अपराध। 112. (1) जो कोई, समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नपत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कृत्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "चोरी" में चालाकी से चोरी, वाहन, निवास-घर या कारबार परिसर से चोरी, कार्गो से चोरी, पाकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। (2) जो कोई, छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
113	आतंकवादी कृत्य। 113. (1) जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभूता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से,— (क) बम, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ का (चाहे वह जैविक रेडियोधर्मी, नाभिकीय या अन्यथा हो) या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे,— (i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है ; या (ii) संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है ; या (iii) भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न पैदा करता है या होने की संभावना है ; या (iv) सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान होता है या होने की संभावना है ; या (v) भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या विदेश में किसी सम्पत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है ; या (ख) किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है ; या (ग) किसी व्यक्ति को निरूद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य की सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उसे न करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अन्य कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कृत्य करता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "लोक कृत्यकारी" से संवैधानिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "कूटकृत भारतीय करेंसी" से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है, जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात् कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा विशेषताओं की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए।

(2) जो कोई, आतंकवादी कृत्य कारित करता है,—

(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में, वह कारावास से, जिसकी अवधि, पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) जो कोई, आतंकवादी कृत्य करने या आंतकवादी कृत्य करने की तैयारी करने का षडयंत्र करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, पक्षपोषण करता है, सलाह देता है या उत्तेजित करता है या ऐसे कार्य का किया जाना प्रत्यक्षतः या जानबूझकर सुकर बनाता है वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(4) जो कोई, आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या किन्हीं शिविरों का आयोजन करता है या आयोजन करवाता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती करवाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, और आतंकवादी कृत्य में शामिल है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(6) जो कोई, ऐसे किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है, स्वेच्छया संश्रय देता है या छिपाता है या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा : परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है।

(7) जो कोई, किसी आतंकवादी कृत्य करने से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

117	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। 117. (1) जो कोई, स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति है, तो वह "स्वेच्छया घोर उपहति करता है", यह कहा जाता है। **स्पष्टीकरण**—कोई व्यक्ति, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है, सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो। किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। (2) जो कोई, धारा 122 की उपधारा (2) में उपबंधित मामले के सिवाय, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडनीय होगा। (4) जब पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, सामान्य मति से कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर, घोर उपहति कारित की जाती है, वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
152	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। 152. जो कोई, प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां, इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है।

195	लोक सेवक जब बलवे, आदि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। **195.** (1) जो कोई, किसी लोक सेवक पर, जो किसी विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई, ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमले की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालने का प्रयत्न करता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है, या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
197	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़कथन। **197.** (1) जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा,— (क) ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते ; या (ख) यह दृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए ; या (ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई दृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, अभिवाक् करता है या अपील करता है या प्रकाशित करता है, और ऐसे दृढ़कथन, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द, या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं ; या **(घ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।** (2) जो कोई, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

226	**विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न।** 226. जो कोई, किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य को करने के लिए बाध्य करने या शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने से विरत रहने के आशय से आत्महत्या का प्रयत्न करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा।
304	झपटमारी। 304. (1) चोरी "झपटमारी" है, यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। (2) जो कोई, झपटमारी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
305	निवास-गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल, आदि में चोरी। 305. जो कोई,— (क) ऐसे किसी भवन, तम्बू या जलयान में चोरी करता है, जो मानव निवास के रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है ; या (ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या (ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या (घ) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है ;या (ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।
324 (3) & (5)	रिष्टि। (1) जो कोई, इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिष्टि करता है। **स्पष्टीकरण 1**—रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे।

	स्पष्टीकरण 2—ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकेगी। (2) जो कोई रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। **(3) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।** (4) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके द्वारा बीस हजार रुपए से अधिक किन्तु एक लाख रुपए के अनधिक रकम, की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। **(5) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके द्वारा एक लाख रुपए या उससे अधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।** (6) जो कोई, किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
341 (3)/(4)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना। 341. (1) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति तैयार करता है कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 338 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दण्डनीय होगा। (2) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति करता है, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो धारा 338 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

	(3) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपटपूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रुप में उपयोग करता है, उसी रीति में दंड़नीय होगा, जैसे मानो उसने इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण का निर्माण या उसे कूटकृत किया हो।
358	निरसन और व्यावृत्ति। **358.** (1) भारतीय दंड संहिता का इसके द्वारा निरसन किया जाता है। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संहिता के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा,— (क) ऐसी निरसित संहिता के पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात; या (ख) ऐसी निरसित संहिता के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व ; या (ग) ऐसी निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में उपगत कोई शास्ति, या दंड ; या (घ) ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण या उपचार; या (ङ) पूर्वोक्त ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, अन्वेषण या उपचार और ऐसी कोई कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या प्रवृत्त हो सकेगा और ऐसी किसी शास्ति का अधिरोपण इस प्रकार किया जा सकेगा, मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया है। (3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्तच संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। (4) निरसन के प्रभाव के संबंध में, उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

अनुलग्नक II

सजा और अपराध की प्रकृति के साथ बीएनएस की आईपीसी से संबंधित धाराएं

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
	अध्याय 1 **प्रारंभिक**	
Sec.1 (1) to (6)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।	Sec.1 - Sec 5
Sec.2 (1) to (39)	परिभाषाएं।	Sec.6- to 52 A*
New	(3) "शिशु"	
Sec.3 (1) to (9)	साधारण स्पष्टीकरण।	Sec.6, Sec.7, Sec.27,Sec.32, Sec. 34, Sec.35 to Sec.38*
	अध्याय 2 **दण्डों के विषय में**	
Sec.4	दण्ड। (च) सामुदायिक सेवा (नया जोड़)	Sec.53*
Sec.5	दण्डादेश का लघुकरण।	Sec.54- Sec 55A
Sec.6	दण्डावधियों की भिन्नें। दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा।	Sec.57*
Sec.7	दंडादेश (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।	Sec.60
Sec.8 (1) to (7)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व।	Sec.63- Sec.70*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.9 (1) to (2)	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।	Sec.71
Sec.10	कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है।	Sec.72
Sec.11	एकांत परिरोध।	Sec.73
Sec.12	एकांत परिरोध की अवधि।	Sec.74
Sec.13	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।	Sec.75
अध्याय 3 साधारण अपवाद		
Sec.14	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	Sec.76
Sec.15	न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य।	Sec.77
Sec.16	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।	Sec.78
Sec.17	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	Sec.79
Sec.18	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।	Sec.80
Sec.19	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।	Sec.81
Sec.20	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।	Sec.82
Sec.21	सात वर्ष से ऊपर, किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।	Sec.83
Sec.22	विकृत्तचित्त व्यक्ति का कार्य।	Sec.84
Sec.23	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।	Sec.85
Sec.24	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।	Sec.86
Sec.25	सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।	Sec.87
Sec.26	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।	Sec.88

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.27	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत्तचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।	Sec.89*
Sec.28	सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।	Sec.90*
Sec.29	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध हैं।	Sec.91
Sec.30	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।	Sec.92
Sec.31	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना।	Sec.93
Sec.32	वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।	Sec.94
Sec.33	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य।	Sec.95
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में		
Sec.34	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।	Sec.96
Sec.35	शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।	Sec.97
Sec.36	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत्तचित्त, आदि हो।	Sec.98
Sec.37	कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।	Sec.99
Sec.38	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।	Sec.100
Sec.39	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।	Sec.101
Sec.40	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना।	Sec.102
Sec.41	कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।	Sec.103*
Sec.42	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।	Sec.104
Sec.43	सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना।	Sec.105
Sec.44	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है।	Sec.106

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
अध्याय 4 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में दुष्प्रेरण के विषय में		
Sec.45	किसी बात का दुष्प्रेरण।	Sec.107
Sec.46	दुष्प्रेरक।	Sec.108
Sec.47	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।	Sec.108A
Sec.48	भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण।	
Sec.49	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है।	Sec.109
Sec.50	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।	Sec.110
Sec.51	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।	Sec.111
Sec.52	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है।	Sec.112
Sec.53	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो।	Sec.113
Sec. 54	अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।	Sec 114
Sec. 55	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।	Sec. 115
Sec. 56	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।	Sec. 116
Sec. 57	जनसाधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।	Sec. 117
Sec. 58	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।	Sec. 118
Sec. 59	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।	Sec. 119
Sec. 60	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।	Sec. 120
आपराधिक षड्यंत्र के विषय में		
Sec.61	आपराधिक षड्यंत्र।	Sec.120A- Sec.120B

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
	प्रयत्न के विषय में	
Sec.62	आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड।	Sec.511
	अध्याय 5 **महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में** **लैंगिक अपराधों के विषय में**	
Sec.63	बलात्संग।	Sec.375*
Sec.64	बलात्संग के लिए दंड।	Sec.376(1), (2)*
Sec.65	कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड।	
	(1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है	Sec.376(3)
	जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है,	Sec.376AB
Sec.66	पीड़िता की मृत्यु या सतत् विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।	Sec.376A
Sec.67	पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन।	Sec.376B
Sec.68	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।	Sec.376C
Sec.69	प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन।	*
Sec.70	सामूहिक बलात्संग।	Sec.376D
	अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से सामूहिक बलात्संग	
Sec. 71	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।	
Sec.72	कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण।	Sec.228A*
Sec. 73	अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना।	Sec.228A*
	महिला के विरूद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में	
Sec.74	महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.354
Sec.75	लैंगिक उत्पीड़न।	Sec.354A
Sec.76	विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.354B*
Sec.77	दृश्यरतिकता।	Sec.354C*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.78	पीछा करना।	Sec.354D
Sec.79	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।	Sec.509
विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में		
Sec. 80	दहेज मृत्यु।	Sec.304B
Sec. 81	विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।	Sec.493
Sec. 82	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना।	Sec.494-S. 495
Sec.83	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना।	Sec.496
Sec. 84	विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना।	Sec.498*
Sec.85	किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।	Sec.498A
Sec.86	क्रूरता की परिभाषा।	Sec.498A
Sec.87	विवाह, आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यपहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना।	Sec.366
Sec.88	गर्भपात कारित करना।	Sec.312
गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में		
Sec.89	महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।	Sec.313
Sec.90 (1)	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु।	Sec.314
Sec.91	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।	Sec.315
Sec.92	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।	Sec.316
शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में		
Sec.93	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को अरक्षित डाल देना और परित्याग करना।	Sec.317

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.94	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना।	Sec.318
Sec.95 नया अपराध है	अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।	
Sec. 96	शिशु का उपापन।	Sec. 366A*
Sec. 97	दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण।	Sec. 369
Sec. 98	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना।	Sec. 372*
Sec. 99	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को खरीदना। (अप्राप्तवय को शिशु से बदला गया है)	Sec. 373*
अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में		
Sec.100	आपराधिक मानव वध।	Sec.299
Sec.101	हत्या की परिभाषा	Sec.300
Sec.102	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।	Sec.301
Sec.103	हत्या के लिए दण्ड।	Sec.302
भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या	(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।	–*
Sec.104	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड।	Sec.303*
Sec.105	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड। (5 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान)	Sec.304*
Sec.106	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। (सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई)	Sec.304A*
	जो कोई, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है व रिपोर्ट किए बिना, भाग जाता है (हिट एंड रन के लिए नया प्रावधान और निवारक सजा)	–*
Sec.107	शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण।	Sec.305

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.108	आत्महत्या का दुष्प्रेरण।	Sec.306
Sec.109	हत्या करने का प्रयत्न।	Sec.307*
Sec.110	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न।	Sec.308
Sec.111 नई धारा	संगठित अपराध।	–*
Sec.112 नई धारा	छोटे संगठित अपराध।	–*
Sec.113 नई धारा	आतंकवादी कृत्य।	–*
उपहति के विषय में		
Sec.114	उपहति।	Sec.319
Sec.115	स्वेच्छया उपहति कारित करना।	Sec.321, Sec. 323*
Sec.116	घोर उपहति।	Sec.320*
Sec.117	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	Sec.322, Sec. 325
नई धारा	उपहति कारित करना जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है	–*
नई धारा	भीड़ द्वारा पीट-पीट कर उपहति कारित करना	–*
Sec.118	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।	Sec.324, Sec. 326*
Sec.119	संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।	Sec.327, Sec. 329
Sec.120	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।	Sec.330-331
Sec.121	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।	Sec.332 - 333*
Sec.122	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।	Sec.334- 335*
Sec.123	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।	Sec.328
Sec.124	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	Sec.326A-326B*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.125	कार्य, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो।	Sec.336-338*
Sec.126	सदोष अवरोध।	Sec.339, Sec.341*
Sec.127	सदोष परिरोध।	Sec.340, Sec.342-348*
आपराधिक बल और हमला के विषय में		
Sec.128	बल।	Sec.349
Sec.129	आपराधिक बल।	Sec.350
Sec.130	हमला।	Sec.351
Sec.131	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।	Sec.352*
Sec.132	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.353
Sec.133	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.355
Sec.134	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.356
Sec.135	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.357*
Sec.136	गम्भीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	Sec.358*
व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम के विषय में		
Sec.137	व्यपहरण।	Sec.359 - Sec.361, Sec.363*
Sec.138	अपहरण।	Sec.362
Sec.139	भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण।	Sec.363A*
Sec.140	हत्या करने के लिए या फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण।	Sec.364-365, Sec.367
Sec.141	विदेश से बालिका या बालक का आयात करना।	Sec.366B*
Sec.142	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना।	Sec.368

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.143	व्यक्ति का दुर्व्यापार।	Sec.370*
Sec.144	दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण।	Sec.370A*
Sec.145	दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना।	Sec.371
Sec.146	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम।	Sec.374
अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में		
Sec.147	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।	Sec.121
Sec.148	धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र।	Sec.121A*
Sec.149	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध, आदि का संग्रह करना।	Sec.122
Sec.150	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।	Sec.123
Sec.151	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि पर हमला करना।	Sec.124
Sec.152	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य।	*
Sec.153	भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना।	Sec.125*
Sec.154	भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।	Sec.126*
Sec.155	धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना।	Sec.127
Sec.156	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।	Sec.128
Sec.157	उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।	Sec.129
Sec.158	ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।	Sec.130
अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में		
Sec.159	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।	Sec.131*
Sec.160	विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए।	Sec.132

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.161	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।	Sec.133
Sec.162	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए।	Sec.134
Sec.163	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण।	Sec.135
Sec.164	अभित्याजक को संश्रय देना।	Sec.136*
Sec.165	मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक।	Sec.137*
Sec.166	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।	Sec.138*
Sec.167	कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।	Sec.139
Sec.168	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।	Sec.140*
अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में		
Sec.169	अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित।	Sec.171A
Sec.170	रिश्वत।	Sec.171B
Sec.171	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना।	Sec.171C
Sec.172	निर्वाचनों में प्रतिरूपण।	Sec.171D
Sec.173	रिश्वत के लिए दण्ड।	Sec.171E
Sec.174	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड।	Sec.171F
Sec.175	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन।	Sec.171G
Sec.176	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय।	Sec.171H*
Sec.177	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।	Sec.171I*
अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में		
Sec.178	सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण।	Sec.230- Sec. 232, Sec.246-Sec.249, Sec.255, Sec.489A *

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग मे लाना।	Sec.250, Sec.251 Sec.258, Sec.260 Sec.489B *
Sec.180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना।	Sec.242,Sec. 252 Sec.253. Sec.259, Sec.489C
Sec.181	सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना।	Sec.233, Sec.235, Sec.256, Sec. 257, Sec. 489D*
Sec.182	करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग।	Sec.489E*
Sec.183	सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।	Sec.261
Sec.184	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है।	Sec.262
Sec.185	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना।	Sec.263
Sec.186	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध।	Sec.263A
Sec.187	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है।	Sec.244
Sec.188	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना।	Sec.245
अध्याय 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में		
Sec.189	विधिविरुद्ध जमाव।	Sec.141-145 Sec.150-151 Sec.157- 158

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.190	विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी।	Sec.149
Sec.191	बलवा करना।	Sec.146-148*
Sec.192	बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना- यदि बलवा किया जाए; यदि बलवा न किया जाए।	Sec.153
Sec.193	उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि, का दायित्व जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है।	Sec.154-156
Sec.194	दंगा।	Sec. 159-160*
Sec.195	लोक सेवक जब बलवे, आदि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना।	Sec.152*
Sec.196	धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।	Sec.153A
Sec.197	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़कथन।	Sec.153B*
अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में		
Sec.198	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है।	Sec.166
Sec.199	लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है।	Sec.166A
Sec.200	पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड।	Sec.166B
Sec.201	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।	Sec.167
Sec.202	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है।	Sec.168*
Sec.203	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है।	Sec.169
Sec.204	लोक सेवक का प्रतिरूपण।	Sec.170*
Sec.205	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।	Sec.171*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
	अध्याय 13 **लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में**	
Sec.206	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।	Sec.172*
Sec.207	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।	Sec.173*
Sec.208	लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना।	Sec.174*
Sec.209	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित।	Sec.174A*
Sec.210	दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप।	Sec.175*
Sec.211	सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप।	Sec.176*
Sec.212	मिथ्या सूचना देना।	Sec.177*
Sec.213	शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।	Sec.178*
Sec.214	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना।	Sec.179*
Sec.215	कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार।	Sec.180*
Sec.216	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन।	Sec.181
Sec.217	इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे।	Sec.182*
Sec.218	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।	Sec.183*
Sec.219	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना।	Sec.184*
Sec.220	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना।	Sec.185
Sec.221	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।	Sec.186*
Sec.222	लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।	Sec.187*
Sec.223	लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।	Sec.188*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.224	लोक सेवक को क्षति करने की धमकी।	Sec.189
Sec.225	लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी।	Sec.190
Sec.226 नई धारा	विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न।	*
अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में		
Sec.227	मिथ्या साक्ष्य देना।	Sec.191
Sec.228	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना।	Sec.192
Sec.229 (1) & (2)	मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।	Sec.193*
Sec.230(1) & (2)	मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	Sec.194*
Sec.231	आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	Sec.195
Sec.232 (1) & (2)	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना।	Sec.195A
Sec.233	उस साक्ष्य को काम में लाना, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है।	Sec.196
Sec.234	मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना।	Sec.197
Sec.235	प्रमाणपत्र को, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य के रूप में काम में लाना।	Sec.198
Sec.236	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन।	Sec.199
Sec.237	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए, उसे सत्य के रूप में काम में लाना।	Sec.200
Sec.238	अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना।	Sec.201
Sec.239	सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप।	Sec.202*
Sec.240	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना।	Sec.203

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.241	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना।	Sec.204*
Sec.242	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण।	Sec.205
Sec.243	संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।	Sec.206*
Sec.244	संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा।	Sec.207
Sec.245	ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना।	Sec.208
Sec.246	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना।	Sec.209
Sec.247	ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना।	Sec.210
Sec.248	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।	Sec.211*
Sec.249	अपराधी को संश्रय देना।	Sec.212
Sec.250	अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार, आदि लेना।	Sec.213
Sec.251	अपराधी को बचाने के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन।	Sec.214
Sec.252	चोरी की संपत्ति, आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना।	Sec.215
Sec.253	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।	Sec.216*
Sec.254	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति।	Sec.216A*
Sec.255	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।	Sec.217
Sec.256	किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना।	Sec.218
Sec.257	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना।	Sec.219
Sec.258	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी।	Sec.220

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.259	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।	Sec.221
Sec.260	दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।	Sec.222
Sec.261	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना।	Sec.223
Sec.262	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।	Sec.224
Sec.263	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।	Sec.225
Sec.264	उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप करना या निकल भागना या सहन करना।	Sec.225A
Sec.265	अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना।	Sec.225B
Sec.266	दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण।	Sec.227
Sec.267	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।	Sec.228*
Sec.268	असेसर का प्रतिरूपण।	Sec.229*
Sec.269	जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता।	Sec.229A
अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में		
Sec.270	लोक न्यूसेन्स।	Sec.268
Sec.271	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो।	Sec.269
Sec.272	परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो।	Sec.270*
Sec.273	संगरोधन के नियम की अवज्ञा।	Sec.271*
Sec.274	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण।	Sec.272*
Sec.275	हानिकर खाद्य या पेय का विक्रय।	Sec.273*
Sec.276	ओषधियों का अपमिश्रण।	Sec.274*
Sec.277	अपमिश्रित ओषधियों का विक्रय।	Sec.275*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.278	ओषधि का भिन्न ओषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय।	Sec.276*
Sec.279	लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।	Sec.277*
Sec.280	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना।	Sec.278*
Sec.281	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना।	Sec.279
Sec.282	जलयान का उतावलेपन से चलाना।	Sec.280*
Sec.283	भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन।	Sec.281*
Sec.284	असुरक्षित या अतिभारित जलयान से भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना।	Sec.282*
Sec.285	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा।	Sec.283*
Sec.286	विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	Sec.284*
Sec.287	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	Sec.285*
Sec.288	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण।	Sec.286*
Sec.289	मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	Sec.287*
Sec.290	किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	Sec.288*
Sec.291	जीव-जन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	Sec.289*
Sec.292	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड।	Sec.290*
Sec.293	न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना।	Sec.291*
Sec.294 (1) & (2)	अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय आदि।	Sec.292*
Sec.295	शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि।	Sec.293*
Sec.296	अश्लील कार्य और गाने।	Sec.294*
Sec.297(1) & (2)	लाटरी कार्यालय रखना।	Sec.294A*
अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में		
Sec.298	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।	Sec.295

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.299	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों।	Sec.295A*
Sec.300	धार्मिक जमाव में विघ्न करना।	Sec.296
Sec.301	कब्रिस्तानों, आदि में अतिचार करना।	Sec.297
Sec.302	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, आदि।	Sec.298
अध्याय 17 सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी के विषय में		
Sec.303 (1) to (2)	चोरी।	Sec.378-Sec.379*
Sec.304(1) & 2)	झपटमारी। (स्नैचिंग को अपराध बनाने के लिए नए प्रावधान किए गए)	–*
Sec.305	निवास-गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल, आदि में चोरी।	Sec.380*
Sec.306	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी।	Sec.381
Sec.307	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी।	Sec.382
उद्दापन के विषय में		
Sec.308(1) to (7)	उद्दापन।	Sec.383-Sec.389*
लूट और डकैती के विषय में		
Sec.309(1) to (6)	लूट।	Sec.390, Sec.392-Sec.394
Sec.310(1) to (6)	डकैती।	Sec.391, Sec.395-Sec,396, Sec.399-Sec.400, Sec.402
Sec.311	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।	Sec.397
Sec.312	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।	Sec.398
Sec.313	लुटेरों, आदि की टोली का होने के लिए दण्ड।	Sec.401*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में		
Sec.314	सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग।	Sec.403*
Sec.315	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी।	Sec.404
आपराधिक न्यासभंग के विषय में		
Sec.316(1) to (5)	आपराधिक न्यासभंग।	Sec.405- Sec.409*
चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में		
Sec.317(1) to (5)	चुराई हुई संपत्ति।	Sec.410- Sec.414
छल के विषय में		
Sec.318(1) to (4)	छल।	Sec.415, Sec.417- Sec.418, Sec.420*
Sec.319 (1) & (2)	प्रतिरूपण द्वारा छल।	Sec.416, Sec.419*
कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में		
Sec.320	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।	Sec.421*
Sec. 321	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।	Sec.422
Sec.322	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन।	Sec.423*
Sec.323	सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।	Sec.424*
Sec.324 (1) to (6)	रिष्टि।	Sec.425-Sec.427, Sec.440*
Sec.325	जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि।	Sec.428- Sec.429*
Sec.326	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।	Sec.430- Sec.436*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.327 (1) & (2)	रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से रिष्टि।	Sec.437-Sec.438
Sec.328	चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड।	Sec.439
आपराधिक अतिचार के विषय में		
Sec.329 (1) T o (4)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार।	Sec.441- Sec.442S .447- Sec.448*
Sec.330 (1) & (2)	गृह-अतिचार और गृह-भेदन।	Sec. 443,S.445
Sec.331 (1) T o (8)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड।	Sec.453-Sec.460
Sec.332	अपराध कारित करने के लिए गृह-अतिचार।	Sec.449-Sec.451
Sec.333	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार।	Sec.452
Sec.334 (1) & (2)	ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना।	Sec.461-Sec.462
अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में		
Sec.335	मिथ्या दस्तावेज रचना।	Sec.464*
Sec.336 (1) T o (4)	कूटरचना।	Sec. 463, Sec. 465, Sec.468- Sec.469.
Sec.337	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना।	Sec.466*
Sec.338	मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, आदि की कूटरचना।	Sec. 467
Sec.339	धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना।	Sec. 474
Sec.340 (1) & (2)	कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।	Sec.470-Sec.471
Sec.341 (1) T o (4)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना।	Sec.472- Sec.473*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
Sec.342 (1) & (2)	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के उपयोग मे लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जें मे रखना।	Sec.475-Sec.476
Sec.343	वसीयत, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना।	Sec.477
Sec.344	लेखा का मिथ्याकरण।	Sec.477A
संपत्ति चिह्नों के विषय में		
Sec.345 (1) T o (3)	सम्पत्ति-चिह्न।	Sec.479, Sec. 481, Sec.482
Sec.346	क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना।	Sec.489
Sec.347 (1) & (2)	सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण।	Sec.483, Sec.484
Sec.348	सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा।	Sec.485
Sec.349	कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय।	Sec.486
Sec.350 (1) & (2)	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।	Sec.487- Sec. 488
अध्याय 19 आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, आदि के विषय में		
Sec.351 (1) to (4)	आपराधिक अभित्रास।	Sec.503, Sec.506- Sec.507*
Sec.352	लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।	Sec.504*
Sec.353 (1) to (3)	लोक रिष्टिकारक वक्तव्य।	Sec.505*
Sec.354	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य।	Sec.508
Sec.355	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार।	Sec.510*

बीएनएस में धारा	बीएनएस में शीर्षक और अध्याय	आईपीसी में संबंधित धारा
मानहानि के विषय में		
Sec.356 (1) to (4)	मानहानि।	Sec.499- Sec. 502*
असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में		
Sec.357	असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग।	Sec.491*

अनुलग्नक III

आईपीसी से हटाई गई धाराओं की सूची

आई.पी.सी में धारा	Heading	हटाए गए आत्मसात
14	"सरकार का सेवक " शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन, भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक हैं।	हटाए गए
18	भारत	हटाए गए
50	धारा	हटाए गए
53 A	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना	हटाए गए
124 A	राजद्रोह	हटाए गए
153 AA	किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना	हटाए गए
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण	हटाए गए
237	कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात	हटाए गए
238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात-	हटाए गए
264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग	हटाए गए
265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	हटाए गए
266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना-	हटाए गए
267	खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना-	हटाए गए
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न	हटाए गए
310	ठग	हटाए गए
311	ठगी का दंड	हटाए गए
377	प्रकृति विरुद्ध अपराध	हटाए गए
444	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार	धारा 331 (6) बीएनएस में आत्मसात
446	रात्रौ गृह-भेदन	
497	जारकर्म	हटाए गए

अनुलग्नक – IV

बीएनएसएस के कुछ महत्वपूर्ण अनुभाग

आम तौर पर, जांच अधिकारी द्वारा 3 साल, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाली धाराएं लागू की जाती हैं, तो जांच के दौरान बीएनएसएस के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है:

1. 105 भा0ना0सु0सं0 : श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना।

105. इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा।

टिप्पणियाँ-

1. यह संहिता में जोड़ा गया एक नया प्रावधान है।
2. यह 'किसी स्थान की तलाशी और किसी संपत्ति, वस्तु या चीज़ को जब्त करने या कब्ज़ा करने से संबंधित है। यहां परिभाषित प्रक्रिया का पालन धारा 185 बी.एन.एस.एस. में भी किया जाएगा। (पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी) जिसके अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जाने हैं:
   - (क) जब्त की गई सभी चीजों की सूची तैयार करना
   - (ख) गवाहों द्वारा ऐसी सूचियों पर हस्ताक्षर करना
   - (ग) तैयारी और हस्ताक्षर की उपरोक्त कार्यवाही 'ऑडियो- वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम' के माध्यम से दर्ज की जाएगी
   - (घ) ऐसी रिकॉर्डिंग को बिना देरी किए जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।
3. यह धारा जांच के दौरान किसी स्थान की तलाशी या किसी वस्तु, वस्तु या संपत्ति को अपने कब्जे में लेने/जब्ती करने से संबंधित है।

4. इस धारा के अनुसार, ऐसी किसी भी तलाशी या कब्ज़ा/जब्ती को "ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस रिकॉर्डिंग में इस तलाशी के दौरान जब्त किए गए सामानों की सूची और इस जब्ती ज्ञापन पर गवाहों के हस्ताक्षर भी शामिल होने चाहिए।

5. इसके बाद, पुलिस अधिकारी बिना किसी देरी के जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस तरह की देरी को अग्रेषित करेगा।

6. यह धारा जांच के दौरान काम में आती है अर्थात:-

(क) जब विश्वसनीय जानकारी हो कि किसी स्थान पर कुछ आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

(ख) जांच के दौरान, यदि आईओ की राय है कि तत्काल तलाशी और जब्ती की जानी चाहिए अन्यथा ऐसे सबूत हटा दिए जा सकते हैं आदि तो आईओ को धारा 185 बीएनएसएस के प्रावधानों का पालन करना होगा। इसके बाद, आईओ इस जानकारी पर कार्रवाई करेगा और उस स्थान की तलाशी और जब्ती करेगा जो धारा 105 बीएनएसएस के अनुसार होना चाहिए।

(ग) यदि आईओ ने किसी आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया है और आरोपी के बयान पर भी ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है।

(घ) ऐसे मामले जिनमें किसी स्थान की तलाशी किसी साक्ष्य को खोजने के लिए की जाती है और ऐसी तलाशी के दौरान यदि कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नही मिलता है तो आई.ओ. को बीएनएसएस की धारा-105 के अनुसारगवाहों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक (-रिकवरी मेमो

(ङ) उपरोक्त धारा वारंट के साथ या उसके बिना किसी स्थान की तलाशी से संबंधित है। इसका संबंध किसी व्यक्ति की तलाशी से नहीं है.

(च) साक्ष्य जब्ती के मामलों या विशेष अधिनियमों के मामलों में, अगर कथित अपराध की सजा 7 साल से अधिक है तो आईओ आगे बढ़ने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ और वीडियोग्राफर की प्रतीक्षा करेगा।

2. 176 भा0ना0सु0सं0 : अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ।

176. (1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए **धारा 175** के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे : परंतु—

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे ;

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा :

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी **श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।**

(2) उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) और खंड (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा और उक्त परंतुक के खंड (ख) में वर्णित दशा में, अधिकारी, सूचना देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, भी तत्काल अधिसूचित करेगा।

(3) किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है, के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में पांच वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर भिजवाएगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाइस पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी बनवाएगा :

परन्तु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार जब तक राज्य में उस मामले के संबंध में सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है या नहीं तो किसी अन्य राज्य की ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी।

टिप्पणियाँ-

1. जांच में विश्वसनीयता लाने के लिए, प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थल का दौरा करेंगे और उक्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी, मुख्यरूप से मोबाइल फ़ोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा।

2. हालाँकि, राज्य 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे सभी मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने की उपरोक्त प्रक्रिया को अनिवार्य बना देगा। यदि किसी विशेष राज्य में फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार उक्त सुविधा का लाभ निकटवर्ती राज्य से लिया जा सकता है।

3. धारा 176 में यह भी प्रावधान है कि बलात्कार के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग जहां तक संभव हो एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी और इसे मोबाइल फोन सहित किसी भी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसकी पसंद के स्थान पर और उसके माता-पिता या अभिभावकों के संदर्भ में।

4. धारा 176 के खंड 1 के प्रावधान (ए) और (बी) के संबंध में, उपरोक्त धाराओं के प्रावधान (ए) का अनुपालन नहीं करने के कारणों के साथ मजिस्ट्रेट को हर 15 दिन में एक रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके अलावा, परंतुक (बी) सूचना देने वाले को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सूचित किया जाएगा।

5. अपराध स्थल की जांच के लिए आईओ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(क) किसी अपराध के बारे में सूचना आईओ को प्राप्त होती है।

(ख) आईओ मौके पर जाता है और सूचना की विश्वसनीयता की जांच करता है।

(ग) सत्यापन के बाद, वह पाता है कि अपराध संज्ञेय है, और बी.एन.एस. के अनुसार अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष और उससे अधिक है.

(घ) 10 तुरंत अपराध स्थल को संरक्षित करता है और अपराध स्थल पर तुरंत फोरेंसिक विशेषज्ञों और वीडियोग्राफर को भी बुलाता।

(ङ) इसके बाद, आईओ फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ अपराध स्थल की जांच करता है।

(च) अपराध स्थल पर प्रासंगिक सबूत फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से उठाए जाते हैं और अपराध स्थल की जांच और सबूत उठाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी है।

(छ) प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी जारी है यानी प्रदर्शनों की सीलिंग, जब्ती मेमो या किसी अन्य दस्तावेज की तैयारी, जब्ती मेमो और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों पर गवाहों और आईओ के हस्ताक्षर (धारा 105 बीएनएसएस के अनुसार)।

6. इस प्रावधान के अनुसार, अपराध स्थल पर केवल **'वीडियोग्राफी'**ही की जानी है। हालाँकि, इस खंड को धारा 105 बी.एन.एस.एस. के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अन्य दो अनुभागों यानी 105 बीएनएसएस और 185 बीएनएसएस में ऐसी खोज और जब्ती प्रक्रिया के दौरान किसी 'फॉरेंसिक परीक्षक' को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. 183 भा0ना0सु0सं0 : संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना।

183. (1) जिले का कोई मजिस्ट्रेट, जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् किन्तु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय उसके द्वारा की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है :

परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है ; और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर, उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ; और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :—

"मैंने ..... (नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है।

(हस्ताक्षरित) क. ख.

मजिस्ट्रेट।"

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो ; तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

(6) (क) **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन दंडनीय मामलों** में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा :

परन्तु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरूष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों में जो दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से या आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा :

परन्तु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो किसी द्विभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, अधिमानत: मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 142 में यथाविनिर्दिष्ट, मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

(7) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।

टिप्पणियाँ-

1. इस खंड में "मेट्रोपॉलिटन" और "न्यायिक" शब्द हटा दिए गए हैं और वर्तमान खंड में केवल "मजिस्ट्रेट" का उल्लेख किया गया है।

2. इस धारा में, अब उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट जिसमें अपराध होने की सूचना दर्ज की गई है (चाहे उस मामले में क्षेत्राधिकार हो या नहीं) को अपराध अन्वेषण के दौरान उसके सामने किए गए कबूलनामे या बयान को रिकॉर्ड करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

3. धारा 183 (6) (क) के अनुसार, जहां तक व्यावहारिक (Practical) हो, धारा 64 से 71,74 से 79 या 124 (महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और एसिड हमला) सभी बी.एन.एस.एस.से संबंधित अपराधों में बयान 'महिला मजिस्ट्रेट' द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए।

4. "गंभीर" और "जघन्य" अपराधों esaधारा 183 बी.एन.एस.एस. के अनुसार, 10 साल या उससे अधिक के कारावास, या आजीवन कारावास, या 'मृत्यु' से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों में, मजिस्ट्रेट, पुलिस द्वारा लाये गये गवाहों का अनिवार्य रूप से बयान दर्ज करेगा।

5. इसके अलावा, यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने के लिए एक दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बयान दर्ज करेगा।

4. 185 भा0ना0सु0सं0 : पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।

185. (1) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है या जिससे वह संलग्न है, सीमाओं के भीतर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् उस थाने की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी करा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य है तो, तलाशी स्वयं लेगा।

परन्तु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अधिमानत: मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी।

(3) यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है, उस समय उपस्थित नहीं है तो वह, ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा।

(4) तलाशी-वारंटों के बारे में इस **संहिता** के उपबंध और तलाशियों के बारे में **धारा 103** के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल, **किन्तु अड़तालीस घंटों के पश्चात् नहीं,** ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, जो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसके आवेदन करने पर, उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट द्वारा नि:शुल्क दी जाएगी।

टिप्पणियाँ-

1. ऐसे मामलों में जहां पुलिस अधिकारी की राय है कि बिना किसी देरी के स्टेशन के अंतर्गत तुरंत तलाशी की जानी चाहिए, ऐसे अधिकारी, रिकॉर्डिंग के बाद केस-डायरी में अपने विश्वास के आधार लिखना और जहां तक संभव हो, ऐसे लेखन में निर्दिष्ट (Specifying) करना कि वह चीज़ जिसके लिए खोज की जानी है, सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर ऐसी चीज़ के लिए खोजें, या खोज करवाएं।

2. उपरोक्त संदर्भ में, उपरोक्त अनुभाग के तहत की गई खोज को "ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों" के माध्यम से अधिमानतः/प्रमुख्यता मोबाइल फोन द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।

3. इसके अलावा, यह धारा यह भी अनिवार्य करती है कि इस धारा की उपधारा (1) और (3) के तहत बनाए गए रिकॉर्ड की प्रतियां संज्ञान लेने के लिए अधिकृत निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, लेकिन 48 घंटे से बाद नहीं।

4. इसके अलावा, उपरोक्त अभिलेखों की प्रतियां खोजे गए स्थान के मालिक या अधिभोगी (occupier) को दी जाएंगी, आवेदन करने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

5. पहले की धारा 165 सीआरपीसी थी. अब यह 185 बीएनएसएस है। यहाँ शब्द 'ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन' जोड़े गए हैं। पहले वीडियोग्राफी का प्रावधान नहीं था. अब आईओ के लिए कार्यवाही को पूरी तरह से 'ऑडियो-वीडियो डिवाइस' में रिकॉर्ड करना अनिवार्य हो गया है। हालाँकि, यह दोहराया जाता है कि ऐसा करते समय धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

6. इस धारा का मूल उद्देश्य यह है कि यदि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी स्थान की तलाशी तुरंत आवश्यक है, लेकिन यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय नष्ट हो जाएगा, और पूरी संभावना है कि आपत्तिजनक साक्ष्य/सामग्री हटा दी जाएगी/छेड़छाड़/नष्ट कर दी जाएगी आदि। ऐसी परिस्थितियों में, विधायिका ने यह अनुभाग(section) प्रदान किया है जिसमें आईओ को केस डायरी में search warrant प्राप्त नहीं करने के कारणों को दर्ज करना होगा और search को प्रभावी करना होगा।

5. 187 भा0ना0सु0सं0 : जब चौबीस घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रक्रिया।

187. (1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या सूचना दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, इस बात पर यह विचार किए बिना कि क्या उसके पास उस मामले के विचारण की अधिकारिता है या नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात् कि क्या ऐसा व्यक्ति जमानत पर नहीं छोडा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पूर्णत: या भागत: पंद्रह दिन से अधिक न हो, उपधारा (3) में यथा उपबंधित यथास्थिति, साठ दिन या नब्बे दिन की उसकी निरुद्ध अवधि में से प्रारंभिक चालीस दिन या साठ दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है :

(3) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध,—

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है ;

(ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है, और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है;

(4) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात् हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा ;

(5) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 1—शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि **उपधारा (3)** में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त-व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है।

स्पष्टीकरण 2—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि **उपधारा (4)** के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है :

परंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा के अधीन पुलिस थाना से या न्यायिक अभिरक्षा के अधीन कारागार से या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा कारागार के रूप में घोषित किसी स्थान से भिन्न स्थान में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त-व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर सात दिन से अधिक नहीं हो और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वह अवधि, जिसके दौरान अभियुक्त-व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी :

परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के सहित जो, यथास्थिति, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उसे भेजी गई थी, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(7) इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(9) यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण, अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी, मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है।

(10) जहां **उपधारा (9)** के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिए जाने पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा (9) के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और यह निदेश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए।

टिप्पणियाँ-

1. धारा 187 कुल हिरासत अवधि 60/90 दिनों के पहले 40/60 दिनों की अवधि में अधिकतम 15 दिनों के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत मांगने का अवसर देती है। धारा में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को किसी आरोपी की ऐसी हिरासत तभी मिलेगी जब वह जमानत पर नहीं है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है।

2. आरोपी के जमानत के अधिकार की रक्षा के लिए, धारा 480 विशेष रूप से प्रावधान करती है कि आरोपी को पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत की आवश्यकता होने के कारण, आरोपी को जमानत देने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं होगा।

3. इसके अलावा, धारा 187 में प्रावधान है कि हिरासत केवल पुलिस हिरासत के तहत पुलिस स्टेशन में या न्यायिक हिरासत के तहत जेल में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जेल घोषित किसी अन्य स्थान पर होगी।

6. 193 भा0ना0सु0सं0 : अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।

193. (1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।

(2) **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 या लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 10 के अधीन किसी अपराध** के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की गई थी, दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।

(3) (i) जैसे ही जांच पूरी होती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में, जिसमें इलैक्ट्रानिक संसूचना का माध्यम भी है, एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी :—

(क) पक्षकारों के नाम ;

(ख) सूचना का स्वरूप ;

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम ;

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है, तो किसके द्वारा;

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(च) क्या अभियुक्त अपने बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया गया है ;

(छ) क्या अभियुक्त **धारा 190** के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ;

(ज) जहां **अन्वेषण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71** के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है ;

(i) इलैक्ट्रानिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम ;

(ii) पुलिस अधिकारी नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना, किन्हीं भी साधनों द्वारा, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक संसूचना का माध्यम भी है, सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को देगा ;

(iii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम सूचना दी, उस रीति से देगा, जो **राज्य सरकार नियमों द्वारा** उपबंधित करे।

(4) जहां **धारा 177** के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

(5) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंधपत्र या जमानतपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(6) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है, जिसको **धारा 190** लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ-साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :—

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है ;

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 180 के अधीन अभिलिखित कथन।

(7) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक टिप्पण मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(8) उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधीन अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक् रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां, जो अपेक्षित हों, भी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के प्रदाय को सम्यक् रूप से तामील हुआ माना जाएगा।

(9) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में आगे रिपोर्ट या रिपोर्टें ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध करें भेजेगा, और **उपधारा (3)** से **उपधारा (8)** तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे **उपधारा (3) के अधीन भेजी** गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं :

परन्तु विचारण के दौरान मामले का विचारण करने वाले न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त अन्वेषण संचालित किया जा सकेगा और जो नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसका विस्तार न्यायालय की अनुमति से किया जा सकेगा।

टिप्पणियाँ-

1. सीआरपीसी की धारा 173 (7) के मौजूदा प्रावधानों में यह प्रावधान है कि जहां मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को ऐसा करना सुविधाजनक लगता है, वह आरोपी को निम्नलिखित सभी या किसी भी दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है:

   (1) जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण (relevant extracts) जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है;

   (2) सीआरपीसी की धारा 161 (बी.एन.एस.एस. की धारा 180) के तहत दर्ज किए गए उन सभी व्यक्तियों के बयान जिन्हें गवाह के रूप में अभियोजन पक्ष जाँच करने का प्रस्ताव करता है।

2. बीएनएसएस की धारा 193 उपरोक्त प्रावधानों में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है:

(क) धारा 193(8) में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है कि वह आरोपी को आपूर्ति (देने½ के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधिवत अनुक्रमित (indexed) अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की इतनी संख्या में प्रतियां जमा कराए, जितनी धारा 230 के तहत आवश्यक है। बी.एन.एस.एस. "जहां मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को ऐसा करना सुविधाजनक लगता है, वह प्रस्तुत कर सकता है" शब्दों को "भी प्रस्तुत करेगा" शब्दों से बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक संचार (communication) द्वारा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत सेवा (duly served) माना जाएगा।

(ग) धारा 193(9) का प्रावधान परीक्षण (trial) के दौरान आगे की जांच करने के लिए एक समयसीमा प्रदान करता है। यह प्रावधान किया गया है कि मुकदमे के दौरान, यदि आगे की जांच की आवश्यकता है, तो इसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, और 90 दिनों से अधिक समय अवधि का कोई भी विस्तार (extension) केवल न्यायालय की अनुमति से होगा।

अनुलग्नक – V

3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा वाली धाराओं की सूची

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
55	**मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।** **55.** जो कोई, मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
57	**जनसाधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।** **57.** जो कोई, जनसाधारण द्वारा, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
58(a) & (b)	**मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।** **58.** जो कोई, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या यह जानते हुए संभाव्यत: उसके द्वारा सुकर बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाता है या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है,— (क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी ; या (ख) यदि अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
67	**पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन।** **67.** जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, उसकी सम्मति के बिना, मैथुन करेगा, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या अन्यथा, उससे पृथक् रह रही है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस धारा में, "मैथुन" से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई भी कृत्य अभिप्रेत है।
74	**महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।** **74.** जो कोई, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा।
75 (2)	**लैंगिक उत्पीड़न।** **75.** (1) कोई पुरूष, निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य, अर्थात् :— (i) शारीरिक स्पर्श और अग्रक्रियाएं करता है, जिनमें अवांछनीय और स्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव अंतर्वलित है ; या (ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है ; या (iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है ; या (iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है, तो वह लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। (2) कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (3) कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
76	**विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।** **76.** जो कोई, किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
77	**दृश्यरतिकता।** **77.** जो कोई, किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को, उन परिस्थितियों में, जिनमें वह प्रायः यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निजी कार्य" के अंतर्गत ताकने का कोई ऐसा कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है या जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है ; या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। **स्पष्टीकरण 2**—जहां पीड़िता, चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सहमति देती है, किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती है और जहां उस चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।
78(2)	**पीछा करना।** **78.** (1) ऐसा कोई पुरुष, जो— (i) किसी महिला का, उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है ; या (ii) किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है,

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	पीछा करने का अपराध करता है : परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि— (i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ; या (ii) ऐसा कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था ; या (iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। (2) जो कोई, पीछा करने का अपराध कारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
79	**शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।** **79.** जो कोई, किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है, या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है, इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसी महिला की एकान्तता का अतिक्रमण करता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
82(1)	**पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना।** **82**. (1) जो कोई, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **अपवाद**—इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर दूर रहा है, और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा यह नहीं सुना गया है कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो, से अवगत करा दे।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
83	**विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना।** **83.** जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
85	**किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।** **85.** जो कोई, किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
88	**गर्भपात कारित करना।** **88.** जो कोई, गर्भवती महिला का स्वेच्छया गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह महिला स्पन्दनगर्भा हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आती है।
93	**शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को अरक्षित डाल देना और परित्याग करना।** **93.** जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णत: परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण**—यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
95	**अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।** 95. जो कोई, किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। स्पष्टीकरण—लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है।
97	**दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण।** **97.** जो कोई, दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
106(1)	**उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना।** **106**. (1) जो कोई, उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है, कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
110	**आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न ।** **110.** जो कोई, किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
112	**छोटे संगठित अपराध ।** **112.** (1) जो कोई, समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नपत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कृत्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है । **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "चोरी" में चालाकी से चोरी, वाहन, निवास-घर या कारबार परिसर से चोरी, कार्गो से चोरी, पाकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है । (2) जो कोई, छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
117(2)	**स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।** **117.** (1) जो कोई, स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति है, तो वह "स्वेच्छया घोर उपहति करता है", यह कहा जाता है । **स्पष्टीकरण**—कोई व्यक्ति, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है, सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो । किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है । (2) जो कोई, धारा 122 की उपधारा (2) में उपबंधित मामले के सिवाय, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(3) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडनीय होगा।
117(4)	**स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।** (4) जब पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, सामान्य मति से कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर, घोर उपहति कारित की Cजाती है, वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
118 (1)	**खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **118.** (1) जो कोई, धारा 122 की उपधारा (1) में उपबंधित दशा के सिवाय, गोली मारने, वेधने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (2) जो कोई, धारा 122 की उपधारा (2) में उपबंधित दशा के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
120(1)	**संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **120.** (1) जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, **उपधारा (1)** में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
121(1)	**लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **121.** (1) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (2) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
122(2)	**प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **122.** (1) जो कोई, गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का है और न तो अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई, गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का है और न तो अपने द्वारा ऐसी घोर उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण**—यह धारा उसी परंतुक के अध्यधीन हैं, जिनके अध्यधीन **धारा 101** का अपवाद 1 है।
124(2)	**अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।** **124.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को, उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उससे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या नि:शक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, या किसी व्यक्ति को स्थायी विकृतशील दशा में डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा : परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा। (2) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या नि:शक्त करने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निःशक्तता हो जाती है। **स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार या स्थायी विकृतशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।
125 (b)	**कार्य, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो।** **125.** जो कोई, इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करता है कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न होती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढ़ाई हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, किंतु— (1) जहां उपहति कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; (2) जहां घोर उपहति कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
127 (3) (4) (6) (7) & (8)	**सदोष परिरोध** **127.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का "सदोष परिरोध" करता है, यह कहा जाता है। (2) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (4) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(5) जो कोई, यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक् रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या इसमें इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दण्ड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। (7) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को, कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (8) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे या वापस करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
137(2)	**व्यपहरण।** **137.** (1) व्यपहरण दो किस्म का होता है ; भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण— (क) जो कोई, किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, भारत की सीमाओं से परे पहुँचा देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ख) जो कोई, किसी शिशु को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे शिशु या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे शिशु या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। **स्पष्टीकरण**—इस खंड में "विधिपूर्ण संरक्षक" शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जिस पर ऐसे शिशु या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। **अपवाद**—इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य अनैतिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए। (2) जो कोई, भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
140(3)	**हत्या करने के लिए या फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण।** **140.** (1) जो कोई, इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को अवरोध में रखता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देता है या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करता है जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-शासनात्मक संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करता है कि उसे घोर उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में पड़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
142	**व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना।** **142.** जो कोई, यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में रखता है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है।
144(2)	**दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण।** **144.** (1) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
151	**किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि पर हमला करना।** **151.** जो कोई, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है या उसका सदोष अवरोध करता है, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
154	**भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।** **154.** जो कोई, भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करता है, या लूटपाट करने की तैयारी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित, या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति की जब्ती का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
155	**धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना।** **155.** जो कोई, किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करता है कि वह धारा 153 और धारा 154 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति की जब्ती का भी दायी होगा।
157	**उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।** **157.** जो कोई, लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से, जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
161	**सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।** **161.** जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
162	**ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए।** **162.** जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करता है, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
180	**कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना।** **180.** जो कोई, किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टांप, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से या उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके, अपने कब्जे में रखता है तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण**—यदि कोई व्यक्ति कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टांप, करेंसी-नोट या बैंक नोट के कब्जे को विधिपूर्ण स्रोत से होना स्थापित कर देता है, तो यह इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करेगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
183	**सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।** **183.** जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी कोई स्टाम्प लगा हुआ है, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया है, हटाता है या मिटाता है या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाता है कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
185	**स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना।** **185.** जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी स्टाम्प पर से उस चिह्न को छीलकर मिटाता है या हटाता है, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छपित है या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिह्न मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या व्ययनित करता है, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचता है या व्ययनित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
187	**टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है।** **187.** जो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करता है, या उस कार्य का लोप करता है, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है कि उस टकसाल से जारी कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
188	**टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना।** **188.** जो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
191(3)	**बलवा करना।** **191.** (1) जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। (2) जो कोई, बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (3) जो कोई, घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
195 (1)	**लोक सेवक जब बलवे, आदि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना।** **195.** (1) जो कोई, किसी लोक सेवक पर, जो किसी विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई, ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमले की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालने का प्रयत्न करता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है, या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
196 (1) & (2)	**धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।** **196.** (1) जो कोई— (क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करता है या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करता है ; या

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ख) कोई ऐसा कार्य करता है, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य है ; या (ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समूदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेता है कि आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए भाग लेता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है ; वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, कारित करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
197 (1) & (2)	**राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़कथन।** **197.** (1) जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा,— (क) ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते ; या (ख) यह दृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए ; या

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई दृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, अभिवाक् करता है या अपील करता है या प्रकाशित करता है, और ऐसे दृढ़कथन, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द, या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं ; या **(घ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है,** वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे **हुए** किसी जमाव में करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
201	**लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।** **201.** जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार-वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद, ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए, करता है कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
209	**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित।** **209.** जो कोई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है , तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
229(1)	**मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड ।** **229.** (1) जो कोई, साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा ; (2) जो कोई, उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण 1**—सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है । **स्पष्टीकरण 2**—न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो । **स्पष्टीकरण 3**—न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।
232(1)	**किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना ।** **232.** (1) जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध है, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ; (2) यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया गया है ।
238(a)	**अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना ।** **238.** जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करता है कि अपराधी को विधिक दंड से बचाया जा सके या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी सूचना देता है, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है,—

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(क) यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो, जो दस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
248(a)	**क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।** **248.** जो कोई, किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाता है कि उसने अपराध किया है— (क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या दो लाख रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ख) यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
249(a)	**अपराधी को संश्रय देना।** **249.** जब कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, विधिक दंड से बचाने करने के आशय से संश्रय देता है या छिपाता है— (क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ग) यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; **स्पष्टीकरण**—इस धारा में "अपराध" के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता हो तो निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् धारा 103, धारा 105, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 310 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 311, धारा 312, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 331 की उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता और प्रत्येक एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था। **अपवाद**—इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो।
250(a)	**अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार, आदि लेना।** **250.** जो कोई, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दंड से बचाने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए, प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए करार करता है,— (क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ग) यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
251(a)	**अपराधी को बचाने के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन।** **251.** जो कोई, किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दंड से बचाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफलस्वरूप कोई परितोषण देता है या दिलाता है या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करता है, या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करता है या कराता है,— (क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ग) यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। **अपवाद**—इस धारा और धारा 250 के उपबंध ऐसे किसी मामले को विस्तारित नहीं होते जिसमें अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सके।
253(a)	**ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।** **253.** जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए विधिक अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागता है, या जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देता है या छिपाता है, वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा अर्थात्,— (क) यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ;

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, जो एक वर्ष तक का, न कि दस वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण**—इस धारा में "अपराध" के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए, वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और प्रत्येक ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था। **अपवाद**—इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना या छिपाना, पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो।
254	**लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति।** **254.** जो कोई, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को, ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दंड से बचाने के आशय से संश्रय देता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह तत्त्वहीन है कि लूट या डकैती भारत के भीतर या भारत से बाहर करने के लिए आशयित है या की जा चुकी है। **अपवाद**—इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो।
257	**न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना।** **257.** जो कोई, लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देता है, या सुनाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
258	**प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी ।** **258.** जो कोई, किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे विधिक प्राधिकार है किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करता है या परिरोध में रखता है कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
259(a)	**पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप ।** **259.** कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए सेवक के नाते विधिक रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,— (क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी ; या (ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी ; या (ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से ।
260(b)	**दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप ।** **260.** जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते विधिक रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में, या निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,—

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी; या (ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी; या (ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।
263 (b) (c) & (d)	**किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।** **263.** जो कोई, किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, साशय छुड़वाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है,— (क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; या (ख) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या (ग) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु-दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या (घ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ङ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, इतनी अवधि के लिए जो दस वर्ष से अनधिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
264 (a)	**उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप करना या निकल भागना या सहन करना।** **264.** जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 259, धारा 260 या धारा 261 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करता है या परिरोध में से निकल भागना सहन करता है,— (क) यदि वह ऐसा साशय करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से ; और (ख) यदि वह ऐसा उपेक्षापूर्वक करता है तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
283	**भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन।** **283.** जो कोई, किसी भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा दण्डित किया जाएगा।
294(2) (subsequent conviction)	**अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय आदि।** **294.** (1) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप में किसी अंतर्वस्तु का प्रदर्शन भी है, को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिसके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्भाव्य है। (2) जो कोई—

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह किसी भी रीतियों में कुछ भी हो, बेचता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक प्रदर्शित करता है, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करता है, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचता है, उत्पादित करता है, या अपने कब्जे में रखता है; या (ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या ले जाना पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करता है या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या, किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी; या (ग) किसी ऐसे कारबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है, जिस कारबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है ; या (घ) यह विज्ञापित करता है या किन्हीं साधनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हो यह ज्ञात कराता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है ; या (ङ) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा। **अपवाद**—इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा,— (क) किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति— (i) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उद्देश्यों के हित में है; या (ii) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी जाती है या उपयोग में लाई जाती है; (ख) किसी ऐसे रूपण जो— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें; या

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों को ले जाने के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर, तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हो।
295	**शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि।** **295.** जो कोई, किसी शिशु को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो **धारा 294** में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देता है, वितरण करता है, प्रदर्शित करता है या परिचालित करता है या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।
299	**विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों।** **299.** जो कोई, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा या अन्यथा करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
303(2)	**चोरी।** **303.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। **स्पष्टीकरण 1**—जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चल सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती ; किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक् की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। **स्पष्टीकरण 2**—हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। **स्पष्टीकरण 3**—कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक् करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	स्पष्टीकरण 4—वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव-जन्तु का हटाना कारित करता है, उस जीव-जन्तु को हटाता है, यह कहा जाता है ; और यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस जीव-जन्तु द्वारा हटाई जाती है। **स्पष्टीकरण 5**—इस धारा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। (2) जो कोई चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के मामले में, उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किंन्तु पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा **: परन्तु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य पांच हजार रुपए से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषसिद्ध किया गया है, चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।**
304 (2)	**झपटमारी।** **304.** (1) चोरी "झपटमारी" है, यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। (2) जो कोई, झपटमारी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
305,	**निवास-गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल, आदि में चोरी।** **305.** जो कोई,— (क) ऐसे किसी भवन, तम्बू या जलयान में चोरी करता है, जो मानव निवास के रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है ; या (ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या (ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या (घ) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है ;या (ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
306	**लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी।** **306.** जो कोई, लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
308(2), (4)	**उद्दापन।** **308.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है। (2) जो कोई, उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **सात वर्ष** तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (3) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (4) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(7) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, या यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
309(5)	**लूट।** **309.** (1) सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है। (2) चोरी "लूट" है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता या कारित करने का प्रयत्न करता है। (3) उद्दापन "लूट" है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। **स्पष्टीकरण**—अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। (4) जो कोई, लूट करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व की जाए, तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा। (5) जो कोई, लूट करने का प्रयत्न करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करता है, तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबंधित होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
310(5)	**डकैती।** **310.** (1) जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह "डकैती" करता है। (2) जो कोई डकैती करता है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, ऐसे व्यक्तियों की टोली का है, जो अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
311	**मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।** **311.** यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।
312	**घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।** **312.** यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित है, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।
313	**लुटेरों, आदि की टोली का होने के लिए दण्ड।** **313.** जो कोई, ऐसे व्यक्तियों की टोली का है, जो अभ्यासत: चोरी या लूट करने से सहयुक्त हों और वह टोली डाकुओं की टोली नहीं है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
315	**ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी।** **315.** जो कोई, किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करता है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा।
316 (2), (3), (4)	**आपराधिक न्यासभंग।** 316. (1) जो कोई, सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी आधिपत्य किसी प्रकार से अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। स्पष्टीकरण 1—जो व्यक्ति, किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य-निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। स्पष्टीकरण 2—जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी-अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(2) जो कोई, आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, वाहक, घाटवाल, या भांडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
317 (2) & (5)	**चुराई हुई संपत्ति।** **317.** (1) वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई "संपत्ति" कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। (2) जो कोई, किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखे रखता है, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(4) जो कोई, ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में वह यह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासत: प्राप्त करता है, या अभ्यासत: उसमें व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, ऐसी संपत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर-उधर करने में स्वेच्छया सहायता करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
318 (3), (4)	**छल।** **318.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है। **स्पष्टीकरण**—तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। (2) जो कोई, छल करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा, या वैध संविदा द्वारा, आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (4) जो कोई, छल करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णत: या अंशत: रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
319(2)	**प्रतिरूपण द्वारा छल।** **319.** (1) कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह निरूपित करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुत: उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है। **स्पष्टीकरण**—यह अपराध हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति, जिसका प्रतिरूपण किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। (2) जो कोई, प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **पांच वर्ष** तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
322	**अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन।** **322.** जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखत को हस्ताक्षरित करता है, निष्पादित करता है, या उसका पक्षकार बनता है, जिससे किसी सम्पत्ति का, या उसमें के किसी हित का, अंतरित किया जाना, या किसी भार के अधीन किया जाना, तात्पर्यित है, और जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित, या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित, जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका प्रवर्तित होना वास्तव में आशयित है, कोई मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
323	**सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।** **323.** जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को छिपाता है या अपसारित करता है, या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करता है, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे को, जिसका वह हकदार है, छोड़ देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
324(5),(6)	**रिष्टि।** **324.** (1) जो कोई, इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिष्टि करता है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	स्पष्टीकरण 1—रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। **स्पष्टीकरण 2**—ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकेगी। (2) जो कोई रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **छह मास** तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। ***(3) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।*** (4) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके **द्वारा बीस हजार रुपए से अधिक किन्तु एक लाख रुपए के अनधिक रकम,** की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। ***(5) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके द्वारा एक लाख रुपए या उससे अधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।*** (6) जो कोई, किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
325	**जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि।** **325.** जो कोई, किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
326(a), (b), (c), (d), (f)	**क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।** **326.** जो कोई, किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करता है,— (क) जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीव-जन्तुओं के, जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ख) जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ग) जिससे किसी लोक जलनिकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (घ) जिससे रेल, वायुयान या पोत या अन्य चीज के, जो नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई हो, नष्ट करने या हटाने या कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, **जिससे कोई ऐसा चिन्ह या सिग्नल जो नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप में कम उपयोगी बन जाए,** वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ङ) जिससे किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा या कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (च) जिससे कृषि उपज सहित किसी सम्पत्ति का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (छ) जिससे किसी ऐसे निर्माण का, जो साधारण तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव-आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उसका नाश अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
331(2) (3) & (4)	**गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड।** **331.** (1) जो कोई, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** गृह-अतिचार **या** गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार का गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **तीन वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि **दस वर्ष** तक की हो सकेगी। (4) जो कोई, कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी। (5) जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के, भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (7) जो कोई, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(8) यदि प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करता है या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** करने में संयुक्तत: संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
332(c)	**अपराध कारित करने के लिए गृह-अतिचार।** **332.** जो कोई, ऐसा अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करता है — (क) जो मृत्यु से दंडनीय है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ग) जो कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा : परन्तु यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी।
333	**उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार।** **333.** जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
334 (2)	**ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना।** **334.** (1) जो कोई, किसी ऐसे बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलता है या अबंधित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई, ऐसा बंद पात्र, जिसमें संपत्ति हो, या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से, उस पात्र को तोड़कर खोलता है या अबंधित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
336(3) & (4)	**कूटरचना ।** **336.** (1) जो कोई, किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है । (2) जो कोई, कूटरचना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । (3) जो कोई, कूटरचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा । (4) जो कोई, कूटरचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
337	**न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना ।** **337.** जो कोई, ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की जिसका किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या सरकार द्वारा जारी किसी पहचान दस्तावेज, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, या किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा हो, कूटरचना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्टर" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है ।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
339	**धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना।** **339.** जो कोई, किसी दस्तावेज या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख इस संहिता की धारा 337 में वर्णित भांति का हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह दस्तावेज धारा 338 में वर्णित भांति की हो तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
340 (2)	**कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।** **340.** (1) वह मिथ्या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णत: या भागत: कूटरचना द्वारा रचा गया है, कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख कहलाता है। (2) जो कोई, किसी ऐसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में करता है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना की हो।
341(2) & (3)	**धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना।** **341.** (1) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति तैयार करता है कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो **इस संहिता की धारा 338** के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दण्डनीय होगा। (2) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति करता है, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो **धारा 338** से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(3) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपटपूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रुप में उपयोग करता है, उसी रीति में दंड़नीय होगा, जैसे मानो उसने इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण का निर्माण या उसे कूटकृत किया हो।
342(2)	**धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के उपयोग मे लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जें मे रखना।** **342.** (1) जो कोई, किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिह्न की, जिसे **धारा 338** में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाता है कि ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न की, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखता है, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिह्न की, जिसे **धारा 338** में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाता है कि वह ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न को, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखता है, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
344	**लेखा का मिथ्याकरण ।** **344.** जो कोई, लिपिक, अधिकारी या सेवक होते हुए, या लिपिक, अधिकारी या सेवक के नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए, किसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो, साशय और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करता है या किसी ऐसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में साशय और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, या उसमें से या उसमें किसी तात्त्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । **स्पष्टीकरण**—इस धारा के अधीन किसी आरोप में, किसी विशिष्ट व्यक्ति का, जिससे कपट करना आशयित था, नाम बताए बिना या किसी विशिष्ट धनराशि का, जिसके विषय में कपट किया जाना आशयित था या किसी विशिष्ट दिन का, जिस दिन अपराध किया गया था, विनिर्देश किए बिना, कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त होगा।
347 (2)	**सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण ।** **347.** (1) जो कोई, किसी सम्पत्ति-चिह्न का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । (2) जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, या किसी ऐसे चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करता है, या किसी ऐसे चिह्न को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
348	**सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा ।** **348.** जो कोई, सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाता है या अपने कब्जे में रखता है, या यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
350 (1) & (2)	**किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।** **350.** (1) जो कोई, किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ है, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिह्न बनाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है, जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है, जो उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (2) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया हो।
351(3),(4)	**आपराधिक अभित्रास।** **351.** (1) जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। **स्पष्टीकरण**—किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है। (2) जो कोई, आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी महिला पर असतित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है ; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (4) जो कोई, अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास-स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, **वह उपधारा (1)** के अधीन उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
353 (1) (2) & (3)	**लोक रिष्टिकारक वक्तव्य ।** **353.** (1) जो कोई, किसी **कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को**— (क) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे ; या (ख) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो ; या (ग) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए, रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, **जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम से रचना, प्रकाशन या परिचालन भी है**, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । (2) जो कोई, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, **जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से भी है** इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । (3) जो कोई, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध, किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **अपवाद**—ऐसा कोई कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, **मिथ्या जानकारी**, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है ।

अनुलग्नक – VI

7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाली धाराओं की सूची

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
55	**मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।** **55.** जो कोई, मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस **संहिता** में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
59(b)	**किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।** **59.** जो कोई, लोक सेवक होते हुए किसी अपराध का किया जाना, जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या यह जानते हुए संभाव्यत: उसके द्वारा सुकर बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाता है या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, (क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से; या (ख) यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी ; या (ग) यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
64(1), (2)	**बलात्संग के लिए दंड ।** **64.** (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । 2) जो कोई— (क) पुलिस अधिकारी होते हुए— (i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, बलात्संग करता है ; या (ii) किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है ; या (iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी महिला से बलात्संग करता है ; या (ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी महिला से बलात्संग करता है ; या (ग) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करता है ; या (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी अंतःवासी से बलात्संग करता है ; या (ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग करता है ; या (च) किसी महिला का नातेदार, संरक्षक या उसका अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस महिला से बलात्संग करता है ; या (छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करता है ; या (ज) किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करता है ; या (झ) उस महिला से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करता है ; या (ञ) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस महिला से बलात्संग करता है ; या (ट) **मानसिक** या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करता है ; या (ठ) बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करता है या अपंग बनाता है या विद्रूपित करता है या उसके जीवन को संकटापन्न करता है ; या (ड) उसी महिला से बार-बार बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	"सशस्त्र बल" से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य भी है, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी सम्मिलित हैं, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं ; **"अस्पताल"** से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है ; **"पुलिस अधिकारी"** का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन "पुलिस" पद में उसका है ; **"महिलाओं या शिशुओं की संस्था"** से ऐसी संस्था अभिप्रेत है चाहे वह अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या शिशुओं के लिए घर या विधवा आश्रम या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो, जो महिलाओं और शिशुओं को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित है।
65(1), (2)	**कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड।** **65.** (1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा : परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। (2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा : परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।
66	**पीड़िता की मृत्यु या सतत् विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।** **66.** जो कोई, धारा 64 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस महिला की दशा सतत् विकृतशील हो जाती है, तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
68	**प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन ।** **68.** जो कोई,— (क) प्राधिकार की किसी स्थिति में या किसी वैश्वासिक संबंध में रखते हुए ; या (ख) लोक सेवक होते हुए ; या (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषणगृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए ; या (घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृंद होते हुए, ऐसी किसी महिला को, जो या तो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण 1**—इस धारा में, "मैथुन" से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई भी कृत्य अभिप्रेत होगा । **स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा । **स्पष्टीकरण 3**—किसी कारागार, प्रतिप्रेषणगृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषणगृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह उसके अंतःवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है । **स्पष्टीकरण 4**—"अस्पताल" और "महिलाओं या शिशुओं की संस्था" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो धारा 64 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) और खंड (घ) में उनका है ।
69	**प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन ।** 69. जो कोई, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा । स्पष्टीकरण—"प्रवंचनापूर्ण साधनों" में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है ।
70(1), (2)	**सामूहिक बलात्संग ।** **70.** (1) जहां किसी महिला से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा : परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। (2) जहां अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडनीय होगा : परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।
71	**पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।** **71.** जो कोई, **धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 70 के** अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा।
77	**दृश्यरतिकता।** **77.** जो कोई, किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को, उन परिस्थितियों में, जिनमें वह प्रायः यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निजी कार्य" के अंतर्गत ताकने का कोई ऐसा कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है या जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है ; या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। **स्पष्टीकरण 2**—जहां पीड़िता, चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सहमति देती है, किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती है और जहां उस चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
80(2)	**दहेज मृत्यु।** **80.** (1) जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है। (2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।
81	**विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।** **81.** प्रत्येक पुरुष, किसी ऐसी महिला को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित कराता है कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला से, अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
82(2)	**पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना।** **82**. (1) जो कोई, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **अपवाद**—इस **उपधारा** का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर दूर रहा है, और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा यह नहीं सुना गया है कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो, से अवगत करा दे। (2) जो कोई, अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाकर, उससे पश्चात्वर्ती विवाह करता है, वह **उपधारा (1)** के अधीन अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
87	**विवाह, आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यपहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना।** **87.** जो कोई, किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए या अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह महिला अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; और जो कोई, किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा या प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करता है, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।
88	**गर्भपात कारित करना।** **88.** जो कोई, गर्भवती महिला का स्वेच्छया गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह महिला स्पन्दनगर्भा हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आती है।
89	**महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।** **89.** जो कोई, महिला की सम्मति के बिना, चाहे वह महिला स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, **धारा 88** के अधीन अपराध कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।
90(1), (2)	**गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु।** **90.** (1) जो कोई, गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) **जहां उपधारा (1)** में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है, वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दण्ड से, दण्डित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण**—इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
91	**शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।** **91.** जो कोई, किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात् उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
92	**ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।** **92.** जो कोई, ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।
95	**अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।** 95. जो कोई, किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। स्पष्टीकरण—लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है।
96	**शिशु का उपापन।** **96.** जो कोई, किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या उसके द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
98	**वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना।** **98.** जो कोई, किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा व्ययनित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	स्पष्टीकरण 1—जब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को, किसी वेश्या या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो वेश्याघर चलाता है या उसका प्रबंध करता है, बेचा जाए, भाड़े पर दिया जाए या अन्यथा व्ययनित किया जाए, तब इस प्रकार ऐसी महिला को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। **स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुचित संभोग" से ऐसे व्यक्तियों के बीच मैथुन अभिप्रेत है, जो विवाह द्वारा संयुक्त नहीं हैं, या ऐसे किसी संयोग या बन्धन से संयुक्त नहीं हैं जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं तो ऐसे दोनों समुदायों की, वैयक्तिक विधि या रूढि द्वारा उनके बीच में विवाह-सदृश सम्बन्ध को मान्य किया जाता है।
99	**वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को खरीदना।** **99.** जो कोई, किसी **शिशु** को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदता है, भाड़े पर लेता है, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, **जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु चौदह वर्ष तक की हो सकेगी**, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण 1**—अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्याघर चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। **स्पष्टीकरण 2**—"अनुचित संभोग" का वही अर्थ है, जो धारा 98 में है।
103(1),(2)	**हत्या के लिए दण्ड।** **103.** (1) जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।**
104	**आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड।** **104.** जो कोई, आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, **वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा।**

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
105	**हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड ।** **105.** जो कोई, ऐसा आपराधिक मानव वध करता है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाता है, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, **जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी,** दण्डित किया जाएगा **और जुर्माने का भी दायी होगा**, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।
106(2)	**उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना ।** **106**. (1) जो कोई, उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, **जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा** और यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है, कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है । (2) जो कोई, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात्, इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना, भाग जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
107	**शिशु या विकृत्त चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण ।** **107.** यदि कोई शिशु, विकृत्त चित्त व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति या मत्तता की अवस्था में **कोई व्यक्ति** आत्महत्या करता है जो कोई, ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
108	**आत्महत्या का दुष्प्रेरण ।** **108.** यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
109(1), (2)	**हत्या करने का प्रयत्न ।** **109.** (1) जो कोई, किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है । (2) जब उपधारा (1) के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन है, तब यदि उपहति कारित करता है, **तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा ।**
110	**आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न ।** **110.** जो कोई, किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
111(2)(a),(b)	**संगठित अपराध ।** 111. (1) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत् विधिविरूद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधिविरूद्ध साधनों द्वारा कारित करता है, वह संगठित अपराध गठित करेगा । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,— (i) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी सतत् विधि विरूद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है । (ii) "सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो तीन या अधिक वर्ष के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान कर लिया है और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं;

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(iii) "आर्थिक अपराध" में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टापों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन कपट या किसी प्ररूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में, कोई कृत्य करना शामिल है। (2) जो कोई, संगठित अपराध कारित करेगा, — (क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा; (ख) किसी अन्य मामले में, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा।
111(3), (4), (5), (6), (7)	**संगठित अपराध।** (3) जो कोई, संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षडयंत्र करता है या यह जानते हुए कारित किया जाना सुकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा। (4) कोई व्यक्ति, जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा। (5) जो कोई, किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध कारित किया है, साशयपूर्वक संश्रय देता है या छिपाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा : परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है। (6) जो कोई, संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से, व्यत्पुन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा। (7) यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति या किसी भी समय ऐसी किसी चल या अचल सम्पत्ति को कब्जे में रखता है, जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
113(2)(a), (b)	**आतंकवादी कृत्य ।** 113. (1) जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभूता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से,— (क) बम, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ का (चाहे वह जैविक रेडियोधर्मी, नाभिकीय या अन्यथा हो) या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे,— (i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है ; या (ii) संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है ; या (iii) भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न पैदा करता है या होने की संभावना है ; या (iv) सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान होता है या होने की संभावना है ; या (v) भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या विदेश में किसी सम्पत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है ; या (ख) किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है ; या (ग) किसी व्यक्ति को निरूद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य की सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उसे न करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अन्य कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कृत्य करता है । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,— (क) "लोक कृत्यकारी" से संवैधानिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है ; (ख) "कूटकृत भारतीय करेंसी" से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है, जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात् कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा विशेषताओं की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए ।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(2) जो कोई, आतंकवादी कृत्य कारित करता है,— (क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) किसी अन्य मामले में, वह कारावास से, जिसकी अवधि, पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।
113(3), (4)(5) (6),(7)	**आतंकवादी कृत्य।** (3) जो कोई, आतंकवादी कृत्य करने या आंतकवादी कृत्य करने की तैयारी करने का षडयंत्र करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, पक्षपोषण करता है, सलाह देता है या उत्तेजित करता है या ऐसे कार्य का किया जाना प्रत्यक्षतः या जानबूझकर सुकर बनाता है वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या किन्हीं शिविरों का आयोजन करता है या आयोजन करवाता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती करवाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) कोई व्यक्ति, जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, और आतंकवादी कृत्य में शामिल है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, ऐसे किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है, स्वेच्छया संश्रय देता है या छिपाता है या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा : परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। (7) जो कोई, किसी आतंकवादी कृत्य करने से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
117(3)	**स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।** **117.** (1) जो कोई, स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति है, तो वह "स्वेच्छया घोर उपहति करता है", यह कहा जाता है।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है, सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो। किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। (2) जो कोई, **धारा 122 की उपधारा (2) में** उपबंधित मामले के सिवाय, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। ***(3) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडनीय होगा।*** **(4) जब पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, सामान्य मति से कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर, घोर उपहति कारित की जाती है, वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।**
118(2)	**खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **118.** (1) जो कोई, **धारा 122 की उपधारा (1) में उपबंधित** दशा के सिवाय, गोली मारने, वेधने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से **जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा**, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (2) जो कोई, **धारा 122 की उपधारा (2) में उपबंधित** दशा के सिवाय, **उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है**, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, **जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु दस वर्ष तक की हो सकेगी**, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
119(1),(2)	**संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **119.** (1) जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध है, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता है, करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, **उपधारा (1)** में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
120(2)	**संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **120.** (1) जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, **उपधारा (1) में निर्दिष्ट** किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
121(2)	**लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।** **121.** (1) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **पांच वर्ष** तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (2) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
123	**अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना ।** **123.** जो कोई, इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या संवेदनशून्य करने वाली, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देता है या उसके द्वारा लिया जाना कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
124(1)	**अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।** **124.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को, उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उससे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या नि:शक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, **या किसी व्यक्ति को स्थायी विकृतशील दशा में डालता है**, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा : परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा । (2) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या नि:शक्त करने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी नि:शक्तता हो जाती है । **स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार या **स्थायी विकृतशील दशा** का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा ।
139(1), (2)	**भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण ।** **139.** (1) जो कोई, किसी **शिशु** का इसलिए व्यपहरण करता है या **शिशु** का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए **शिशु** की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करता है कि ऐसा शिशु भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से, **जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी**, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(2) जो कोई, किसी **शिशु** को विकलांग इसलिए करता है कि ऐसा **शिशु** भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से, **जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।** (3) जहां कोई व्यक्ति, जो **शिशु** का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस **शिशु** को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, वहां जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से **उस शिशु** का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह **शिशु** भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। (4) इस धारा में "भीख मांगने" से निम्नलिखित अभिप्रेत है— (i) लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या चीजें बेचने के बहाने या अन्यथा करना ; (ii) भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना ; (iii) भीख अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव-जन्तु का कोई जख्म, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना ; (iv) भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से **शिशु** का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करना।
140(1), (2), (4)	**हत्या करने के लिए या फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण।** **140.** (1) जो कोई, इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को अवरोध में रखता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देता है या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करता है जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-शासनात्मक संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
141	**विदेश से बालिका या बालक का आयात करना।** **141.** जो कोई, इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को, **या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को**, भारत के बाहर के किसी देश से, उस **बालिका या बालक** को, किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इसके द्वारा **बालिका या बालक** को विवश या विलुब्ध किया जा सकेगा, भारत में आयात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
143(2), (3),(4),(5), (6),(7)	**व्यक्ति का दुर्व्यापार।** **143.** (1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन से,— (क) धमकियों का प्रयोग करके ; या (ख) बल, या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके ; या (ग) अपहरण द्वारा ; या (घ) कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा ; या (ङ) शक्ति का दुरुपयोग करके ; या (च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान करना या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है। **स्पष्टीकरण 1**—"शोषण" पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता, या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण भी है। **स्पष्टीकरण 2**—दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है। (2) जो कोई, दुर्व्यापार का अपराध करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जहां अपराध में किसी **शिशु** का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जहां अपराध में एक से अधिक **शिशु** का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) यदि किसी व्यक्ति को किसी **शिशु** का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
144(1)	**दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण।** **144.** (1) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी **शिशु** का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे **शिशु** को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो **दस वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो **सात वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
145	**दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना।** **145.** जो कोई, अभ्यासत: दासों को आयात करता है, निर्यात करता है, अपसारित करता है, खरीदता है, बेचता है या उनका दुर्व्यापार करता है या व्यौहार करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
147	**भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।** **147.** जो कोई, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
148	**धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र।** **148.** जो कोई, **धारा 147** द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए **भारत के भीतर या बाहर** षड्यंत्र करता है या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो।
149	**भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध, आदि का संग्रह करना।** **149.** जो कोई, भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करता है, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
150	**युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।** **150.** जो कोई, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
152	**भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य।** **152.** जो कोई, प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां, इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है।
153	**भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना।** **153.** जो कोई, **भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है** या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करता है, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
156	**लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।** **156.** जो कोई, लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से, जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागने देता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
158	**ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।** **158.** जो कोई, यह जानते हुए किसी राजकैदी या युद्धकैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद करता है या सहायता देता है, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाता है, या छुड़ाने का प्रयत्न करता है, या किसी ऐसे कैदी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, संश्रय देता है या छिपाता है या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	स्पष्टीकरण—कोई राजकैदी या युद्धकैदी, जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर, समग्र रूप से विचरण की अनुमति है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है, जब वह उन सीमाओं से, जिनके भीतर उसे समग्र रूप से विचरण की अनुमति है, परे चला जाता है।
159	**विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।** **159.** जो कोई, **भारत सरकार की** सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या किसी ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी निष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
160	**विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए।** **160.** जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
178	**सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण।** **178.** जो कोई, किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए **सरकार द्वारा जारी किए गये स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करता है** या यह जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, वह **आजीवन कारावास** से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **दस वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **स्पष्टीकरण**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,— (1) "बैंक-नोट" पद से उसके धारक की मांग पर धन के संदाय हेतु ऐसा वचन-पत्र या वचनबंध अभिप्रेत है जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी या किसी राज्य या प्रभुत्वसंपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा जारी और प्राधिकार के अधीन प्रचालित धन के समतुल्य या उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने हेतु आशयित है ; (2) **"सिक्का" पद का वही अर्थ होगा, जो सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 2 में इसका है** और इसके अंतर्गत तत्समय धन के रूप में उपयोग की गई धातु भी है और जिसे इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या प्रभुत्वसंपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा और उसके अधीन स्टांम्प किया गया है तथा जारी किया गया है ; (3) कोई व्यक्ति **"सरकारी स्टाम्प कूटकरण"** का अपराध करता है, जो एक अंकित मूल्य के असली स्टाम्प को किसी भिन्न अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसा दिखाई देने का कूटकरण करता है ; (4) जो व्यक्ति **असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला इस आशय से बनाता है** कि प्रवंचना की जाए या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह उस सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है ; और

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(5) "सिक्का कूटकरण" अपराध में, सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण में परिवर्तन करना या रूप में परिवर्तन करना भी सम्मिलित है।
179	**कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग मे लाना।** **179.** जो कोई, किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, उसे **आयात करता है या निर्यात करता है** या किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है या परिदत्त करता है या क्रय करता है या प्राप्त करता है या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करता है या असली के रूप में उपयोग करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
181	**सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना।** **181.** जो कोई, किसी मशीनरी, डाई या उपकरण या सामग्री का उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि **वह किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टांप, करेंसी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाता है,** या ढ़ालता है, या बनाने या ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, या क्रय करता है या विक्रय करता है, या व्यनित करता है या उसके कब्जे में है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
209	**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित।** **209.** जो कोई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है , तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
230(1),(2)	**मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।** **230.** (1) जो कोई, भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यत: उसके द्वारा दोषसिद्ध करवाता है यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह आजीवन कारावास से, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, **और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा।** (2) यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाए, और उसे निष्पादित किया जाए, तो उस व्यक्ति को, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है, या तो मृत्यु दंड या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दंड दिया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
248(b)	**क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।** **248.** जो कोई, किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाता है कि उसने अपराध किया है— (क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, **जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या दो लाख रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा** ; (ख) यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, **जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी**, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
260(a)	**दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।** **260.** जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते विधिक रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में, या निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,— (क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी; या (ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी; या (ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।
263(e)	**किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।** **263.** जो कोई, किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, साशय छुड़वाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है,— (क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; या

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ख) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या (ग) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु-दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या (घ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या (ङ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, इतनी अवधि के लिए जो दस वर्ष से अनधिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
307	**चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी।** **307.** जो कोई, चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
308(5),(6),(7)	**उद्दापन।** **308.** (1) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है। (2) जो कोई, उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (3) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(4) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (7) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, या यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
309(4),(6)	**लूट।** **309.** (1) सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है। (2) चोरी "लूट" है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता या कारित करने का प्रयत्न करता है। (3) उद्दापन "लूट" है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। **स्पष्टीकरण**—अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। (4) जो कोई, लूट करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व की जाए, तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(5) जो कोई, लूट करने का प्रयत्न करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करता है, तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबंधित होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
310(2),(3),(4),(6)	**डकैती।** **310.** (1) जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह "डकैती" करता है। (2) जो कोई डकैती करता है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, ऐसे व्यक्तियों की टोली का है, जो अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
315	**ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी।** **315.** जो कोई, किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करता है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
316(5)	**आपराधिक न्यासभंग।** **316.** (1) जो कोई, सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी आधिपत्य किसी प्रकार से अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। **स्पष्टीकरण 1**—जो व्यक्ति, किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य-निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। **स्पष्टीकरण 2**—जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी-अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। (2) जो कोई, आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, वाहक, घाटवाल, या भांडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(5) जो कोई, लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
317(3),(4)	**चुराई हुई संपत्ति।** **317.** (1) वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, **या** उद्दापन द्वारा **या** लूट द्वारा **या छल** द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई "संपत्ति" कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। (2) जो कोई, किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) जो कोई, ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखे रखता है, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। (4) जो कोई, ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में वह यह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासत: प्राप्त करता है, या अभ्यासत: उसमें व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई, ऐसी संपत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर-उधर करने में स्वेच्छया सहायता करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
326(g)	**क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।** **326.** जो कोई, किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करता है,— (क) जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीव-जन्तुओं के, जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(ख) जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ग) जिससे किसी लोक जलनिकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (घ) जिससे रेल, वायुयान या पोत या अन्य चीज के, जो नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई हो, नष्ट करने या हटाने या कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, **जिससे कोई ऐसा चिन्ह या सिग्नल जो नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप में कम उपयोगी बन जाए,** वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ङ) जिससे किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी **भूमि चिह्न के नष्ट** करने या हटाने द्वारा या कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (च) जिससे कृषि उपज सहित किसी सम्पत्ति का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (छ) जिससे किसी ऐसे निर्माण का, जो साधारण तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव-आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उसका नाश अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।
327(1),(2)	**रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से रिष्टि।** **327.** (1) जो कोई, किसी **रेल, वायुयान, तल्लायुक्त** जलयान या बीस टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बना देने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उसे नष्ट करेगा, या असुरक्षित बना देता है, उस **रेल, वायुयान**, या जलयान की रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी रिष्टि करता है, या करने का प्रयत्न करता है, जैसी **उपधारा (1)** में वर्णित है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
328	**चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड।** **328.** जो कोई, किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अंतर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देता है या किनारे से लगा देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
331 (3), (4), (5), (6), (7), (8)	**गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड।** **331.** (1) जो कोई, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** गृह-अतिचार **या** गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (3) जो कोई, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार का गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **तीन वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि **दस वर्ष** तक की हो सकेगी। (4) जो कोई, कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **पांच वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि **चौदह वर्ष** तक की हो सकेगी। (5) जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (6) जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** गृह-भेदन करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के, भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (7) जो कोई, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
	(8) यदि प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करता है या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन **सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व** करने में संयुक्तत: संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
332(a),(b)	**अपराध कारित करने के लिए गृह-अतिचार।** **332.** जो कोई, ऐसा अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करता है — (क) जो मृत्यु से दंडनीय है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ख) जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; (ग) जो कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा : परन्तु यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी।
338	**मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, आदि की कूटरचना।** **338.** जो कोई, किसी ऐसी दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, या जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, चल सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, या किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
339	**धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना।** **339.** जो कोई, किसी दस्तावेज या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक **अभिलेख इस संहिता की धारा 337 में वर्णित** भांति का हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह **दस्तावेज धारा 338 में वर्णित** भांति की हो तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
340 (2)	**कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।** **340.** (1) वह मिथ्या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णत: या भागत: कूटरचना द्वारा रचा गया है, कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख कहलाता है। (2) जो कोई, किसी ऐसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में करता है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना की हो।
341(1)	**धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना।** **341.** (1) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति तैयार करता है कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो **इस संहिता की धारा 338** के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दण्डनीय होगा। (2) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति करता है, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो **धारा 338** से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। **(3) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।** (4) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपटपूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रुप में उपयोग करता है, उसी रीति में दंड़नीय होगा, जैसे मानो उसने इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण का निर्माण या उसे कूटकृत किया हो।

बीएनएस में अनुभाग	शीर्षक और अंतर्वस्तु
342(1)	**धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के उपयोग मे लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जें मे रखना।** **342.** (1) जो कोई, किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिह्न की, जिसे **धारा 338** में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाता है कि ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न की, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखता है, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (2) जो कोई, किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिह्न की, जिसे **धारा 338 में** वर्णित दस्तावेजों से भिन्न किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाता है कि वह ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न को, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखता है, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
343	**वसीयत, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना।** **343.** जो कोई, कपटपूर्वक या बेईमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसे दस्तावेज को, जो वसीयत या पुत्र के दत्तकग्रहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यित हो, रद्द, नष्ट या विरूपित करता है या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करता है, या छिपाता है या छिपाने का प्रयत्न करता है या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्टि करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

अनुलग्नक – VII

रोजमर्रा की पुलिसिंग में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुभागों की सूची

क्र.सं.	शीर्षक	आईपीसी के अनुसार धाराएं	बीएनएस के अनुसार अनुभाग
1	बलवा	147/148/149/323/341/506 IPC & 25/27 Arms Act	191(2)/191(3)/190/115(2) /126(2)/351(2)(3) BNS & 25/27 Arms Act
2	दंगा	160/506/34 IPC	194 (2)/351 (2) (3) & 3 (5) BNS
3	उद्घोषित अपराधी प्राथमिकी	174A IPC	209 BNS
4	गलत जानकारी व जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना	182/211/471 IPC	217/248/340(2) BNS
5	सरकारी अफसर की ड्यूटी में बाधा	186/353/332/506/34 IPC	221/132/121(1)/351 (2) (3) & 3 (5) BNS
6	लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा	188 IPC	223 BNS
7	झूँटे सबूत	195A IPC	232 BNS
9	साधारण दुर्घटना	279/337 IPC & 185 MV Act add 304A IPC	281/125 BNS
10	साधारण दुर्घटना	279/338 IPC	281/125 BNS
11	साधारण दुर्घटना	279/427 IPC & 185 MV ACT	281/324(4)(5) BNS & 185 MV Act
12	लोकमार्ग या नौपरिवहन पथ में बाधा	283/34 IPC	285/3(5) BNS
13	घातक दुर्घटना	285/304A IPC	287/106(1) BNS
14	घातक दुर्घटना	288/304A IPC	290/106(1)BNS
15	निर्माण के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	4	290/125/324 (4) (5) BNS

16	निर्माण के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	288/337 IPC	290/125 BNS
17	हत्या	302/307/201/34 IPC	103 (1)/109/238/3 (5) BNS
18	दुर्घटना	304A/337/288 IPC	106(1)/125/290 BNS
19	दहेज मृत्यु	304B/498A/34 IPC	80/85/3(5) BNS
20	हत्या का प्रयास	307/323/341/506/34 IPC & 25/9/30 Arms Act	109/115 (2)/126 (2)/351 (2) (3)/3 (5) BNS & 25 Arms Act
21	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न	308/323/341/506/34 IPC	110/115(2)/126(2)/351(2) (3)/3(5) BNS
22	स्वेछया उपहित कारित करने के लिए दंड	323/341/427/506/34 IPC	115(2)/126(2)/324(4) (5)/351(2)(3)/3(5) BNS
23	स्वेछया उपहित कारित करने के लिए दंड	324/323/341/506/34 IPC	118(1)/115(2)/126(2)/ 351(2)(3)/3(5) BNS
24	विष इत्यादि द्वारा उपहित कारित करना	328/379/34 IPC	123/303(2)/3(5) BNS
25	आपराधिक गृह अतिचार	380/448 IPC	305/329 (4) BNS
26	स्त्री की लज्जा भंग करना	354/323 IPC	74/115 (2) BNS
27	स्त्री की लज्जा भंग करना व अश्लील साहित्य/चित्र दिखाना	354/354A/354D/323/ 506/34 IPC	74/75/78/115(2)/351(2) (3)/3(5) BNS
28	महिलाओं का पीछा करना	354D/506 IPC	78/351 (2) (3) BNS
29	छीना-झपटी	356/379/34 IPC	304/3(5) BNS
30	व्यपहरण	363 IPC	137 (2) BNS
31	फिरौती के लिए व्यपहरण	364A/120B IPC	140(2)/61(2) BNS
32	व्यपहरण या अपहरण	365 IPC	140(3)
33	सामूहिक बलातसंग	370/366A/506/120B/342 IPC added 376D/109/328 IPC	143/96/351(2) (3)/61(2)/127(2) BNS added 70(1)/49/123 BNS
34	चोरी	379/411/34 IPC	303 (2)/317 (2)/3 (5) BNS
35	निवास गृह आदि में चोरी	380/451/411 IPC	305/332(c)/317(2) BNS

36	निवास गृह आदि में चोरी	380/452 IPC	305/333 BNS
37	मृत्यु कारित करने के उद्देश्य पश्चात चोरी	382/411 IPC	307/317(2) BNS
38	उद्दापन के लिए दंड	384/385/506 IPC	308(2)/308(3)/351(2)(3) BNS
39	लूटमार	392/394/34 IPC	309 (4)/309 (6)/3 (5) BNS
40	लूटमार	392/394/397/411/34 IPC	309(4)/309(6)/311/317(2) /3(5) BNS
41	लूटमार	394/397/34 IPC	309(6)/311/3(5) BNS
42	लूटमार	398/34 IPC	312/3 (5) BNS
43	आपराधिक न्यास भंग	406 IPC	316(2) BNS
44	आपराधिक न्यास भंग	408 IPC	316(4) BNS
45	छल करना	420/34 IPC	318 (4)/3(5) BNS
46	छल करना	420/465/468/471/120(B) IPC	318(4)/336(2)/336(3)/340(2)/61(2) BNS
47	छल करना	420/468/471/34 IPC	318(4)/336(3)/340(2)/3(5) BNS
48	छल करना	420/468/471/409/34 IPC	318(4)/336(3)/340(2)/316(5)/3(5) BNS
49	आगजनी	436 IPC	326(g) BNS
50	गृह अतिचार	448/511 IPC	329(4)/62 BNS
51	सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार	452/506/34 IPC & 27Arms Act	333/351(2)(3)/3(5) BNS & 27 Arms Act
52	प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदन	454/380 IPC	331 (3)/305 BNS
53	प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदन	454/380/411 IPC	331(3)/305/317(2) BNS
54	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन	457/380/511 IPC	331(4)/305/62 BNS
55	दहेज क्रूरता	498A/406 IPC & 4 Dowry Proh. ACT	85/316(2) BNS & 4 Dowry Proh. ACT

56	दहेज क्रूरता	498A/406/34 & 4 Dowry Pro. Act	85/316(2)/3 (5) BNS & 4 Dowry Pro. Act
57	आपराधिक अभित्रास	506 IPC & 27 Arms Act	351 (2) (3) BNS & 27 Arms Act
58	स्त्री लज्जा का अनादर	509/506/34 IPC	79/351 (2) (3)/3 (5) BNS
59	कलंदरा	107/151 Cr.P.C.	126/170 BNSS
60		107/150 Cr.P.C.	126/169 BNSS
61		133 Cr.P.C.	152 BNSS
62		145 Cr.P.C.	164 BNSS